सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

2016-17

खण्ड-I

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त लेखे

खण्ड-I

2016-17

छत्तीसगढ़ शासन

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ
खण्ड–I		
	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	iii-v
	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	vii-xiv
1.	वित्तीय स्थिति का विवरण	2–3
2.	प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण	4–5
	विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक–रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	6–10
3.	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण	11–13
4.	समेकित निधि में व्यय का विवरण	
	कार्यात्मक व्यय	14–17
	व्यय का स्वरूप	18–20
5.	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	21–24
6.	उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण	25–28
7.	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण	29–33
8	वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के अंशपूंजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार	34
9.	सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण	35
10.	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण	36–37
11.	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण	38
12.	वर्ष 2016–17 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण	39–43
13.	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	44–46
	लेखाओं के लिए टिप्पणियॉ	47–57
	अनुलग्नक– (क) आवधिक/अन्य समायोजनों का विवरण	58–59
	(ख) पूंजीगत अनुभाग के दर्ज सहायता अनुदान का विवरण	60
	(ग) लघुशीर्ष–800 'अन्य व्यय' के अन्तर्गत दर्ज व्यय का मुख्यशीर्ष वार विवरण	61
	(घ) लघुशीर्ष–800 'अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत दर्ज प्राप्तियों का मुख्यशीर्ष वार विवरण	62–63
	(ड) व्यक्तिगत निक्षेप खाते का विवरण	64
	(च) मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्ष का विवरण	65
	(छ) अक्रियाशील आरक्षित निधियों का विवरण	66
खण्ड–II		
भाग– I		
14.	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण	68–113
15.	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण	114–172
16.	पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	173–301
17.	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण	302–316
18.	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण	317–349
19.	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	350–360
20.	सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण	361–367
21.	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण	368–382
22.	उदिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण	383–387

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ
	भाग–II–परिशिष्ट	
I	मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण	390–404
II	आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण	405–414
III	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान / सहायता (संस्थावार तथा योजनावार)	415–472
IV	बाह्य सहायित परियोजनाएं	473–474
V	आयोजना व्यय	
(क)	राज्य / केन्द्रीय योजनाओं को केन्द्रीय सहायता	475–499
(ख)	राज्य योजनागत योजनाएं	500–508
VI	भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियो का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियॉ) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)	509–515
VII	विवरण क्रमांक 18 एवं 21 में दर्शाए गए अन्तशेषों का मिलान एवं स्वीकरण	516–517
VIII	(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	518
	(ii) विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम	519
IX	राज्य शासन की प्रतिबद्धता–अपूर्ण निर्माण कार्यो की सूची	520–558
X	अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर–वेतन भाग का विवरण	559–575
XI	वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं	576–584
XII	शासन के प्रतिबद्धित दायित्वो का विवरण	585–587
XIII	राज्यों के पुनर्गठन–राज्य के मध्य शेषों के प्रभाजन नहीं किये गए मदों का विवरण	588–661

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं, जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियॉ एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किये जाते हैं। खंड–I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खंड–II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किये जाते हैं।

वित्त लेखाओं को नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियॉ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के साथ पठित मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किये गये हैं और उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणकों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणों (8, 9, 17 (ख) (i), (ग) (i) एवं 19, 20), व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विवरण क्रमांक 14, 15 तथा 16 के नीचे) और परिशिष्टों (VIII, IX, XI तथा XII) को छत्तीसगढ़ सरकार/निगमों/कम्पनियों/सोसाइटियों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ–साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियॉ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनायें और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जॉच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक ''लेखाओं के लिए टिप्पणियों'' के साथ पठित वित्त लेखे 2016–17 वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ–साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली छत्तीसगढ़ सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

दिनांक : 21 मार्च 2018
स्थान : नई दिल्ली

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

(क) शासकीय लेखे की संरचना का सिंहावलोकन :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियां एवं संवितरणों के लेखाओं तथा लेखे में दर्ज शेष के आधार पर राज्य सरकार के लोक ऋण और देनदारियां एवं परिसम्पत्तियों का लेखा–जोखा प्रस्तुत करते हैं।

2. **सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है :–**

भाग I–समेकित निधि : इस निधि के अन्तर्गत सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, सरकार द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉण्डस्, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति, इत्यादि) भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से कोई भी धनराशि विधि के अनुसार तथा भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। व्यय के कुछ वर्ग जैसे (सांविधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण अदायगी, इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर भारित होता है एवं इसके लिए राज्य विधान मण्डल में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (दत्तमत व्यय) के लिए मतदान किया जाता है।

समेकित निधि के दो भाग होते हैं–राजस्व एवं पूंजी (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित) इन्हे पुनः 'प्राप्ति' एवं 'व्यय' शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्ति शीर्ष को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है : 'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व', सहायता अनुदान एवं अंशदान। ये तीन क्षेत्र पुनः उप क्षेत्रों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि 'आय एवं व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवा' इत्यादि। पूंजीगत प्राप्ति में कोई भी क्षेत्र या उप क्षेत्र नहीं होता है। राजस्व व्यय शीर्ष को चार क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है : सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं एवं सहायता अनुदान तथा अंशदान। राजस्व व्यय के इन क्षेत्रों को पुनः उप क्षेत्रों में उप विभाजित किया जाता है जैसे–राज्य के अंग, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति इत्यादि। पूंजीगत व्यय को सात क्षेत्रों में उप विभाजित किया जाता है। जैसे–'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'लोक ऋण', 'ऋण एवं अग्रिम', 'अन्तर्राज्यीय समाशोधन एवं आकस्मिक निधि में अन्तरण'।

भाग II–आकस्मिकता निधि : यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्षों को नामे कर, प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2016–17 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के आकस्मिक निधि ₹ 100.00 करोड़ की है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–जारी

भाग III–लोक लेखा : सरकार द्वारा या सरकार के पक्ष में प्राप्त अन्य लोक धन राशि, जहॉ सरकार एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे–अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जो कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष है) सम्मिलित है। सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखा के 6 क्षेत्र है : 'अल्प बचत', 'भविष्य निधि इत्याादि' 'आरक्षित निधि', 'जमा एवं अग्रिम', 'उचंत एवं विविध', 'प्रेषण एवं रोकड़ शेष'। यह छः क्षेत्र पुनः उप क्षेत्रों में उप विभाजित किया जाता है। लोक लेखा राज्य विधायिका के मताधीन नहीं है।

3. छत्तीसगढ़ सरकार के लेखे सात स्तरीय वर्गीकरण में प्रस्तुत किया जाता है जैसे–मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), समूह शीर्ष (चार अंक), उप शीर्ष (दो से चार अंक), उद्‌देश्य शीर्ष/विस्तृत शीर्ष (दो अंक) तथा उप विस्तृत शीर्ष (तीन अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लघु शीर्ष सरकार के कार्यक्रमों/क्रियाकलाप को प्रदर्शित करते हैं, समूह शीर्ष योजना व्यय के स्त्रोत को प्रदर्शित करते हैं, (अर्थात राज्य या केन्द्र के संसाधन), उप शीर्ष योजना को प्रदर्शित करते हैं, उद्‌देश्य/विस्तृत शीर्ष व्यय के उद्‌देश्य/स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं, एवं उप विस्तृत शीर्ष व्यय के उद्‌देश्यों के घटक को प्रदर्शित करते हैं, (अर्थात–यदि व्यय का स्वरूप वेतन है तो उप विस्तृत शीर्ष मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि होगा)।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की प्रमुख इकाई मुख्य शीर्ष होती है, जिसमें निम्नलिखित वर्गीकरण संरचना निहित है : (मुख्य एवं लघु शीर्ष 31 मार्च 2017 तक अद्यतित की सूची अनुसार)

0020 से 1606	राजस्व प्राप्तियॉ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियॉ
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे सामान्यतः (कुछ अपवादों के साथ), लघु शीर्ष तक के संव्यवहारों को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर पर, अर्थात वसूली को व्यय में से कटौत्रे करते हुए दर्शाये जाते हैं। यह प्रक्रिया विधायिका के समक्ष प्रस्तुत लेखा अनुदान तथा विनियोग लेखे से भिन्न है, जहॉ व्यय को सकल स्तर पर दर्शाया जाता है।

6. शासकीय लेखे की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत है :

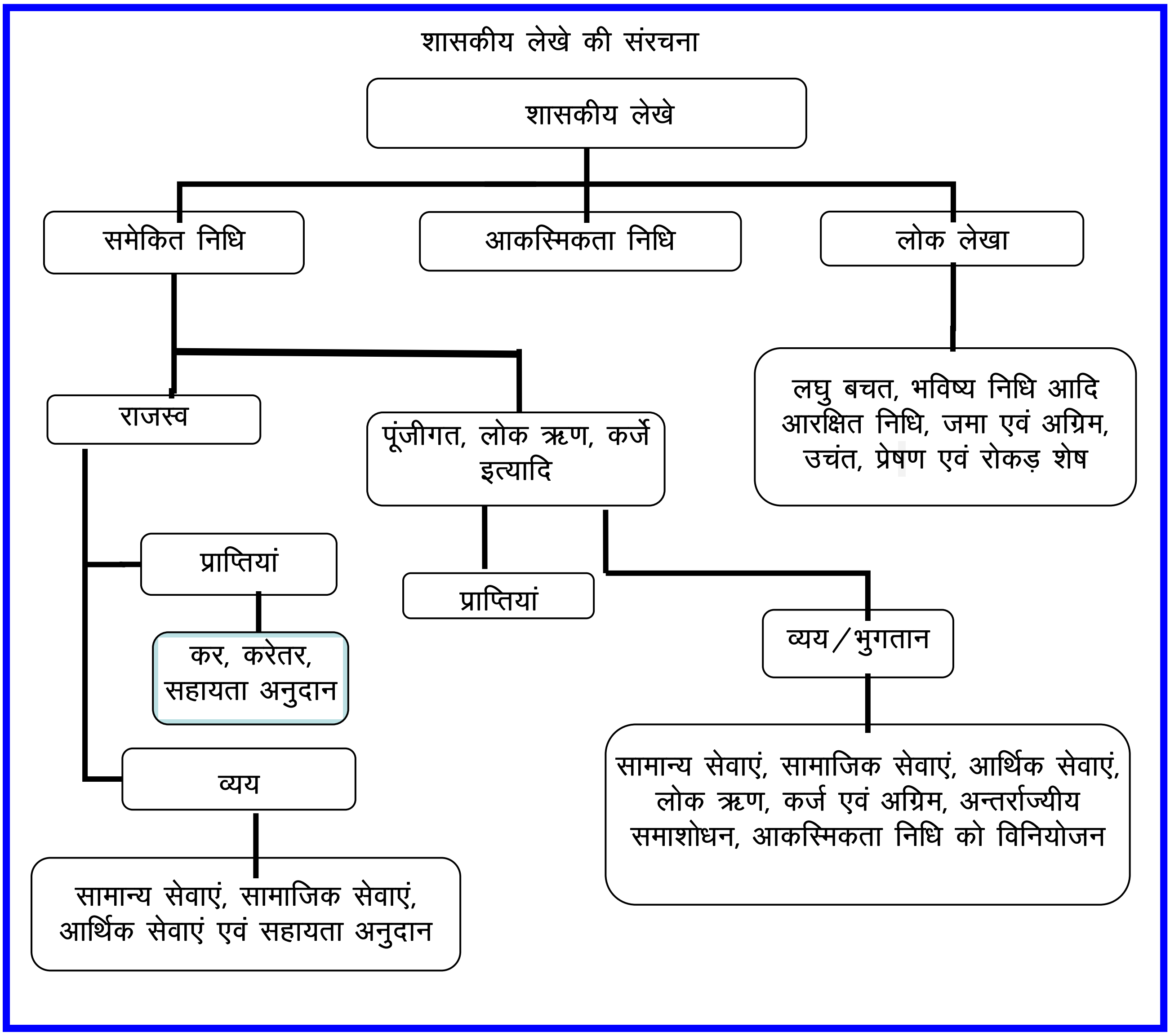

(ख) वित्त लेखे में क्या निहित है :–

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किये गये हैं।

खण्ड–I में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र, वित्त लेखाओं की मार्गदर्शिका, चालू वित्त वर्ष हेतु राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति और लेन–देन की जानकारी से संबंधित संक्षिप्त तेरह विवरणियॉ, लेखाओं के लिए टिप्पणियॉ एवं इसके अनुलग्नक सम्मिलित है। खण्ड–I में दिए तेरह विवरणियॉं निम्नलिखित है :

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–जारी

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण :** इस विवरण में वर्ष के अंत में शासन की परिसम्पत्ति एवं दायित्वों के संचयी ऑकड़ों एवं विगत वर्षांत के तुलनात्मक आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है।

2. **प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण :** इस विवरण में, सरकारी लेखे के तीनों भागों अर्थात समेकित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा में वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त एक परिशिष्ट, जो राज्य सरकार के रोकड़ शेषों का वैकल्पिक चित्रण (निवेश सहित) दर्शाते है, सम्मिलित है। इस परिशिष्ट में राज्य सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति को भी विस्तृत रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

3. **समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण :** इस विवरण में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों (विनिवेश, उधार एवं ऋण तथा अग्रिमों की वसूली सहित) की जानकारी समाविष्ट है। यह विवरण वित्त लेखे के भाग–I के खण्ड–II में विस्तृत विवरण 14, 17 एवं 18 के अनुरूप है।

4. **समेकित निधि में व्यय का विवरण :** वित्त लेखे में लघुशीर्ष स्तर तक के सामान्य चित्रण से भिन्न यह विवरण कार्य के स्वरूप अनुसार व्यय भी दर्शाता है। यह भाग–I के खण्ड–II में विस्तृत विवरण 15, 16, 17 एवं 18 के अनुरूप है।

5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरण भाग–I के खण्ड–II में विस्तृत विवरण क्रमांक 16 के अनुरूप है।

6. **उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण :** शासन के उधारों में बाजार कर्जे (आंतरिक ऋण) एवं भारत शासन से प्राप्त कर्जे एवं अग्रिम सम्मिलित है। अन्य दायित्वों में 'अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि' 'आरक्षित निधि' एवं 'जमा' शामिल है। इस विवरण में ऋणों के परिशोधन व्यवस्था पर एक टिप्पणी भी है तथा यह भाग–I के खण्ड–II में विस्तृत विवरण क्रमांक 17 के अनुरूप है।

7. **सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिम का विवरण :** यह विवरण राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणी समूहों जैसे–सांविधिक निगम, सरकारी कंपनियॉ, स्वायत्त एवं अन्य निकाय/प्राधिकरणों एवं एकल प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारी सहित), को दिये गये समस्त कर्ज तथा अग्रिम को प्रदर्शित करता है। यह विवरण भाग–I के खण्ड–II में विस्तृत विवरण क्रमांक 18 के अनुरूप है।

8. **वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों की अंशपूंजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार :** इस विवरण में शासन द्वारा सांविधानिक निगमों, सरकारी कम्पनी, अन्य संयुक्त उपक्रम, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूजी में किये गये निवेश की स्थिति का सारांश प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण भाग–I के खण्ड–II में सम्मिलित विस्तृत विवरण क्रमांक 19 के अनुरूप है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–जारी

9. **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरणः** इस विवरण में सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों पर मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियॉं का सारांश प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण भाग–I के खण्ड–II में विस्तृत विवरण क्रमांक 20 के अनुरूप है।

10. **सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण** : यह विवरण सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनुदानग्राहियों जैसे–सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दी गई सहायता अनुदान को प्रदर्शित करता है। परिशिष्ट–III में प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण होते हैं।

11. **दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण** : यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आंकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आंकड़ों के साथ के मिलान में सहायता करती है।

12. **वर्ष 2016–17 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण** : यह विवरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से पूरित किया जाना चाहिए, जबकि पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखे के निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में रोकड़ शेष तथा उधार से पूरित किया जाना चाहिए।

13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश** : यह विवरण वर्ष 2016–17 के अन्त में राज्य लेखो की निवल नामे राशि के साथ क्षेत्रवार शेषों का सारांश दर्शाता है।

वित्त लेखे के खण्ड–II के दो भाग है : भाग–I में 9 विस्तृत विवरण, भाग–II में 13 परिशिष्ट है।

खण्ड–II का भाग–I

14. **राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघुशीर्ष वार विस्तृत विवरण** : यह विवरण खण्ड–I में सम्मिलित सारांशित विवरण क्रमांक 3 के अनुरूप है।

15. **राजस्व व्यय का लघुशीर्ष वार विस्तृत विवरण** : यह विवरण खण्ड–I में सम्मिलित सारांशित विवरण क्रमांक 4 के अनुरूप है, जो शासन के राजस्व व्यय को आयोजना (राज्य आयोजना, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं) एवं आयोजनेतर ऑकड़े के अन्तर्गत विस्तार में प्रदर्शित करते हैं। भारित तथा दत्तमत्त व्ययों को स्पष्ट प्रथक रूप से दर्शाये जाते हैं।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–जारी

16. **पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण** : यह विवरण भाग–I में सम्मिलित सारांशित विवरण क्रमांक 5 के अनुरूप है, जो शासन के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी) को आयोजना (राज्य आयोजना, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं) एवं आयोजनेतर ऑकड़े के अन्तर्गत विस्तार में प्रदर्शित करते हैं। भारित तथा दत्तमत्त व्ययों को स्पष्ट पृथक रूप से दर्शाये जाते हैं। लघुशीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय दर्शाये जाने के अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओं के संदर्भ में यह विवरण उपशीर्ष स्तर की जानकारी भी प्रदर्शित करता है।

17. **उधारों तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण** : यह विवरण इस खण्ड के भाग–I के विवरण–6 के समरूप है, जिसमें राज्य शासन द्वारा उगाहे गये समस्त ऋण (बाजार ऋण, बंदपत्र, केन्द्र शासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित है। इस विवरण में ऋणों की जानकारी तीन संवर्ग में प्रस्तुत किये गये हैं।

    i) प्रत्येक ऋणों का विवरण, ii) परिपक्वता विवरणी अर्थात प्रत्येक संवर्ग के ऋणों का विभिन्न वर्षो में देय राशि, iii) बकाया ऋणों का ब्याज दर विवरणी

18. **सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण** : यह विवरण इस खण्ड के भाग–I में सम्मिलित सारांशित विवरण क्रमांक 7 के अनुरूप है।

19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण** : इस विवरण में सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूजी में किये गये निवेश की स्थिति प्रदर्शित करता है। यह विवरण खण्ड–I में सम्मिलित सारांशित विवरण क्रमांक 8 के अनुरूप है।

20 **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरणः** इस विवरण में सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों पर मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियॉ का संस्थावार विवरण प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण खण्ड–I के सारांशित विवरण क्रमांक 9 के अनुरुप है।

21 **आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण** : इस विवरण में आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखे संव्यवहारों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अंत में बकाया शेषों का विवरण लघुशीर्षवार स्तर पर प्रदर्शित किया जाता है।

22 **उदिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण** : यह विवरण आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से किये गये निवेश को विस्तृत रूप में प्रदर्शित करता है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–जारी

खण्ड–II के भाग–II

भाग–II में वेतन, आर्थिक सहायता, सहायता अनुदान, बाहय् सहाययित परियोजनाओं का विवरण, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य योजनाओं में योजनावार व्यय इत्यादि, से संबंधित 13 परिशिष्ट सम्मिलित है। यह विस्तृत विवरण, लेखाओं में उप–शीर्ष अथवा उसके निचले स्तर (अर्थात लघुशीर्ष स्तर से नीचे) तक, दर्शाए जाते हैं एवं इसलिए इन्हें सामान्यतः वित्त लेखे में नहीं दर्शाये जाते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड–I एवं II में 'विषय–सूची' में उपलब्ध है। परिशिष्टों के साथ विवरणियों का पठन, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है।

(ग) सुलभ तालिका (रेडी रेकनर) : खण्ड–I में सारांशिकृत विवरण एवं खण्ड–II में समावेशित विस्तृत विवरणों तथा परिशिष्टों के मध्य संबंध निम्न तालिका में दर्शाया गया है (परिशिष्ट जिनके सारांशिकृत विवरणों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, निम्न तालिका में नहीं दर्शाये गये हैं।):–

मापदण्ड	सारांशिकृत विवरण (खण्ड–I)	विस्तृत विवरण (खण्ड–II)	परिशिष्ट (खण्ड–II)
राजस्व प्राप्तियां (प्राप्त अनुदानों सहित)	2, 3	14	..
राजस्व व्यय	2, 4,	15	I (वेतन), II (आर्थिक सहायता)
शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान	2, 10	..	III
पूंजीगत प्राप्तियां	2, 3	14	..
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	..
शासन द्वारा प्रदत्त कर्जे तथा पेशगियां	1, 2, 4, 7, 12, 13	18	..
ऋण की स्थिति / उधार	1, 2, 4, 6, 12, 13	17	..
कम्पनियों, निगमों आदि पर शासन का निवेश	1, 5, 8	16, 19	..
रोकड़	1, 2, 12, 13	21	..
लोक लेखे में शेष एवं उस पर निवेश	1, 2, 6, 12, 13	17, 21, 22	..
प्रतिभूतियॉ	9	20	..
अंतरर्राज्यीय समायोजन	2, 3, 4, 12, 13	..	..
योजनाएं	..		V(क), V(ख), VI

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–समाप्त

(घ) **आवधिक एवं पुस्तकीय समायोजन :** कतिपय संव्यवहारों को लेखे में दर्ज करते समय नगद का वास्तविक प्रवाह नहीं होता है। इनमें से कुछ संव्यवहार लेखा प्रेषण ईकाईयों (जैसे कोषालयों, संभागों इत्यादि) के स्तर पर किये जाते है। उदाहरणार्थ, वेतन से किये जाने वाले समस्त कटौत्रों का संव्यवहार (सामान्य भविष्य निधि, प्रदत्त अग्रिमों की वसूली) क्रियात्मक मुख्य शीर्षों (संबंधित विभाग के) को नामे करते हुए पुस्तकीय समायोजन से राजस्व/ऋणों/लोक लेखा प्राप्तियों में दर्ज किये जाते हैं। इसी प्रकार 'निरंक' देयक जहॉ समेकित निधि तथा लोक लेखे के मध्य निधियों का स्थानांतरण किया जाता है, लेखा प्रस्तुत करने वाली ईकाईयों के स्तर पर बिना रोकड़ स्थानांतरण का लेन–देन है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के लेखों में निम्न प्रकार के आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन करते हैं जिनका विवरण अनुलग्नक–क (खण्ड–I) तथा संबंधित विवरणों के नीचे पादटीपों में वर्णित किया जाता है।

आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन के उदाहरण निम्नानुसार हैः–

(i) लोक लेखा के अन्तर्गत निधियों का सृजन/निधियों को अंशदान का समायोजन समेकित निधि को नामे कर किया जाता है, यथा–राज्य आपदा विमोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, शोधन निधि इत्यादि।

(ii) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा के जमा शीर्षों में जमा किया जाना।

(iii) सामान्य भविष्य निधि एवं राज्य शासन समूह बीमा योजना पर वार्षिक ब्याज का समायोजन, जहॉ ब्याज का समायोजन मुख्य शीर्ष 2049–ब्याज अदायगियों को नामे कर 8009–सामान्य भविष्य निधि लेखे को जमा किया जाता है।

(iv) केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसानुसार भारत शासन की योजना के अन्तर्गत ऋण माफी योजना। ऐसे समायोजन (जहॉ केन्द्रीय ऋणों को मुख्यशीर्ष 0075–'विविध सामान्य सेवाएं' में जमा कर मुख्यशीर्ष 6004–'केन्द्र शासन से कर्जे तथा पेशगियों को नामे कर अपलेखित किया जाता है) से राजस्व प्राप्तियॉ एवं लोक लेखे शीर्ष दोनों प्रभावित होते हैं।

(ड) **पूर्णांक :** ₹ 0.01 लाख/करोड़ का अंतर, जहॉ भी परिलक्षित हो, पूर्णांक के कारण है।

संक्षिप्त विवरण

1. वित्तीय स्थिति

आस्तियाँ[1]	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
	लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ	विवरण/ परिशिष्ट		
रोकड़				
(i) कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	..	..	0.00	0.00
(ii) विभागीय शेष	..	2,21	8.70	11.54
(iii) स्थायी अग्रदाय	..	2,21	0.34	0.32
(iv) रोकड़ शेष निवेश	..	2,21	2,512.00	1,856.17
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	2.3	2,21	339.18	(-) 577.94
(vi) पृथक उदिष्ट निधियों से निवेश[2]	..	2,21	1,798.63	1,543.63
पूंजीगत व्यय				
(i) कंपनी, निगम इत्यादि के अंशपूंजी में निवेश	3.3	5,8,16,19	6,723.60	6,192.22
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय	..	5,16	56,568.22	47,631.46
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	..	..	0.00	0.00
कर्जे और पेशगियां	3.2	7,18	1,373.68	1,263.75
विभागीय अधिकारियों के पास पेशगियां	..	21	1.92	1.94
उचन्त और विविध शेष[3]	..	..	0.00	0.00
प्रेषण शेष	3.4	12,21	307.58	356.72
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य	..	12	0.00	0.00
योग	..	..	**69,633.85**	**58,279.81**

[1] आस्तियों तथा दायित्व के आंकड़े संचयी आंकड़े है। कृपया 'लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ' के टीप 1(ii) भी देखें।

[2] केन्द्र सरकार की प्रतिभूती में निवेशित राशि ₹ 1,743.63 करोड़ तथा संयुक्त उपक्रम कम्पनियों (छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे मर्यादित) एवं छत्तीसगढ़ रेलवे कारपोरेशन मर्यादित के अंशपूंजी में निवेशित ₹ 55.00 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

[3] इस विवरण में उचन्त एवं विविध शेष के अन्तर्गत रोकड़ शेष निवेश लेखा, विभागीय शेष एवं स्थायी रोकड़ अग्रदाय सम्मिलित नहीं है, जो पृथक से उपर दर्शाये गये है यद्यपि यह लेखे इन लेखाओं में इस सेक्टर का भाग है।

का विवरण

(₹ करोड़ में)

दायित्वों[1]	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
	लेखाओं के लिए टिप्पणियॉ	विवरण/ परिशिष्ट		
उधार (लोक ऋण)				
(i) राज्य शासन के आंतरिक ऋण				
बाजार कर्जे	..	6,17	18,452.12	14,554.44
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	..	6,17	918.53	918.53
वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	..	6,17	3,197.91	2,559.33
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को विशेष प्रतिभूतियॉ जारी	..	6,17	5,761.73	6,182.26
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	..	6,17	0.00	0.00
(ii) केन्द्र सरकार से कर्जे और पेशगियां				
आयोजनेतर कर्जे	..	6,17	1.63	2.16
राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे	..	6,17	2,044.89	1,832.79
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे	..	6,17	0.19	0.19
केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे	..	6,17	(-) 0.23[4]	(-) 0.23
अन्य ऋण	..	6,17	0.68	0.68
आकस्मिकता निधि (शेष)	..	21	**100.00**	**40.00**
लोक लेखा पर दायित्व				
(i) अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	..	12,17,21	4,592.47	4,163.66
(ii) जमा	..	12,17,21	6,117.96	5,567.30
(iii) आरक्षित निधियां	3.8	12,21,22	4,141.61	3,579.11
(iv) प्रेषण शेष	..	..	0.00	0.00
(v) उचंत और विविध शेष	3.4	12,21	163.79[5]	140.77
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य [6]	..	..	21,140.57	18,738.82
योग			**69,633.85**	**58,279.81**

[4] ऋणात्मक राशि, मध्य प्रदेश को प्रभाजित किया गया ₹ 0.23 करोड़ का ऋण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भुगतान किये जाने के कारण है। यह राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंतिम निर्णय किये जाने के पश्चात समायोजन/वसूली योग्य है।

[5] मुख्यशीर्ष 8658–''उचंत'' लेखे के ₹ 127.79 करोड़ तथा 8670–''चैक तथा बिल'' के ₹ 36.00 करोड़ सम्मिलित है।

[6] प्राप्तियों पर व्यय अथवा व्यय पर प्राप्तियों का संचयी अधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व आधिक्य से भिन्न है। आंकड़े पूंजीगत एवं अन्य व्यय तथा निधियो के मुख्य स्त्रोत के निवल से निकाले गए है। विस्तृत जानकारी विवरण क्रमांक 12 में है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2016–17	2015–16		2016–17	2015–16
भाग–1 समेकित निधि					
अनुभाग क– राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	**53,685.25**	**46,067.71**	**राजस्व व्यय**	**48,164.60**	**43,701.06**
कर राजस्व	**37,754.37**	**32,791.33**	वेतन[1]	11,076.73[2 3]	10,487.99
राज्य द्वारा उगाहा गया	18,945.21	17,074.86	आर्थिक सहायता[1]	4,189.14[4]	7,397.12
संघीय करों/शुल्को का अंश	18,809.16	15,716.47	आर्थिक सहायता [1, 5]	17,785.95[6]	12,816.92
करेतर राजस्व	**5,669.25**	**5,214.79**	**सामान्य सेवायें**	**7,985.16**	**7,136.92**
ब्याज प्राप्तियां	157.24	108.23	ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवायें	2,886.83	2,348.91
अन्य	5,512.01	5,106.56	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	3,486.27[7]	3,518.58
केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	**10,261.63**	**8,061.59**	अन्य	1,612.06	1,269.43
			सामाजिक सेवायें	**3,882.37**	**3,209.58**
			आर्थिक सेवायें	**2,094.70**	**1,752.12**
			स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	**1,150.55[8]**	**900.41**
राजस्व घाटा	**0.00**	**0.00**	**राजस्व आधिक्य**	**5,520.65**	**2,366.65**

[1] समेकित आंकड़ा प्रदर्शित करने के लिए सभी क्षेत्रों के वेतन, आर्थिक सहायता एवं सहायता अनुदान के ऑकड़ों के योग किए गये है। इस विवरण में ''सामान्य, ''सामाजिक'' एवं आर्थिक'' सेवा क्षेत्रों के व्यय में वेतन, सब्सिडी एवं सहायता अनुदान पर किये गये व्यय सम्मिलित नहीं है (पादटीप 2,3,4 एवं 6 में उल्लेखित)।

[2] उद्देश शीर्ष 01–वेतन एवं 07–कार्यभारित आकस्मिकता स्थापना के अन्तर्गत दर्ज व्यय क्रमशः ₹ 10,780.63 करोड़ एवं ₹ 296.10 करोड़ सम्मिलित है।

[3] सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं के अन्तर्गत वेतन व्यय क्रमशः ₹ 3,443.14 करोड़, ₹ 5,803.72 करोड़ एवं ₹ 1,829.87 करोड़ है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट क्रमांक I देखें।

[4] सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओ के अन्तर्गत आर्थिक सहायता व्यय क्रमशः ₹ 0.74 करोड़, ₹ 11.28 करोड़ एवं ₹ 4,177.12 करोड़ है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट क्रमांक II देखें।

[5] शासन द्वारा सांविधिक निगमों, कम्पनियों, स्वयं स्वायत्व संस्थाओं, स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता अनुदान दिये जाते है जो ऊपर दिखाये अनुसार शामिल है। ये सहायता अनुदान क्षतिपूर्ति एवं करों के समनुदेशन एवं स्थानीय निकायों को शुल्क से भिन्न है जिसे पृथक रूप में स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज्य संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

[6] सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओ के अन्तर्गत सहायता अनुदांन क्रमशः ₹ 67.19 करोड़, ₹ 11,644.24 करोड़ एवं ₹ 6,074.52 करोड़ है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए विवरण क्रमांक 10 एवं परिशिष्ट क्रमांक III देखें।

[7] इस राशि में विस्तृत शीर्ष–12–पेंशन एवं सेवानिवृति लाभ–₹ 3,458.86 करोड. 25–सामग्री और पूर्तियॉ–₹ 5.41 करोड तथा 37–अंतः लेखा अन्तरण के अन्तर्गत दर्ज व्यय–₹ 22.00 करोड़ सम्मिलित हैं।

[8] इस शीर्ष में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान प्रदत्त सहायता अनुदान ₹ 1,207.76 करोड़ में से ₹ 57.21 करोड़ की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ पंचायत भू–राजस्व उपकर एवं स्टाम्प शुल्क निधि से की गई है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2016–17	2015–16		2016–17	2015–16
अनुभाग ख–पूँजी					
पूंजीगत प्राप्तियां	**2.37**	**2.84**	**पूंजीगत व्यय**	**9,470.51**	**7,945.01**
			सामान्य सेवायें	187.54	362.33
			सामाजिक सेवायें	2,460.62	1,807.01
			आर्थिक सेवायें	6,822.35[9] [10]	5,775.67
कर्जे तथा पेशगियों की वापसी	**172.99**	**296.39**	**कर्जे तथा पेशगियों का संवितरण**	**272.71**	**164.73**
सामान्य सेवायें	0.00	171.98	सामान्य सेवायें	0.00	1.00
सामाजिक सेवायें	107.30	79.62	सामाजिक सेवायें	170.57	44.40
आर्थिक सेवायें	64.58	44.48	आर्थिक सेवायें	102.14	119.33
शासकीय कर्मचारियों को कर्जे तथा पेशगियां	1.11	0.31	शासकीय कर्मचारियों को कर्जे तथा पेशगियां	0.00	0.00
लोक ऋण प्राप्तियां	**5,479.93**	**7,251.15**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**1,152.63**	**1,250.18**
आन्तरिक ऋण (बाजार कर्जे इत्यादि)[11]	5,098.40	7,105.87	आन्तरिक ऋण (बाजार कर्जे)[11]	982.67	1,086.11
भारत सरकार से कर्जे	381.53	145.28	भारत सरकार से प्राप्त कर्जे	169.96	164.07
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**0.38**	**0.52**	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**	**0.44**	**0.49**
	..	..	**आकस्मिकता निधि से विनियोजन**	**60.00**	**0.00**
योग–समेकित निधि प्राप्तियां	**59,340.92**	**53,618.61**	**योग–समेकित निधि व्यय**	**59,120.89**	**53,061.47**
समेकित निधि में कमी	**0.00**	**0.00**	**समेकित निधि में आधिक्य**	**220.03**	**557.14**
भाग–II–आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	**60.00**	**0.00**	**आकस्मिकता निधि**	**0.00**	**0.00**
भाग– III–लोक लेखा[12]					
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,126.89	1,094.55	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	699.93	580.25
आरक्षित तथा निक्षेप निधि	1,617.38	1,628.56	आरक्षित तथा निक्षेप निधि	1,232.58	1,238.63
जमा	3,579.44	2,927.91	जमा	3,028.78	2,997.45
पेशगियां	444.20	490.35	पेशगियां	444.18	490.34
उचंत तथा विविध	1,05,088.32	73,567.12	उचंत तथा विविध[13]	1,05,862.81	75,390.65
प्रेषण	9,224.16	8,601.45	प्रेषण	9,175.02	8,613.39
योग–लोक लेखा प्राप्तियां	**1,21,080.39**	**88,309.94**	**योग–लोक लेखा व्यय**	**1,20,443.30**	**89,310.71**
लोक लेखे में कमी	0.00	1,000.77	लोक लेखे में आधिक्य	637.09	0.00
प्रारंभिक रोकड़ शेष	(–) 577.94	(–) 134.31	रोकड़ का अंतशेष	339.18	(–) 577.94
रोकड़ शेष में वृद्धि	**917.12**	**0.00**	**रोकड़ शेष में कमी**	**0.00**	**443.63**

9 उद्देश्य शीर्ष 01–वेतन के अन्तर्गत दर्ज वेतन व्यय ₹ 84.47 करोड एवं 07–कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत ₹ 41.13 करोड़ तथा पूंजीगत सम्पत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान की राशि ₹ 1,478.88 करोड़ सम्मिलित है।

10 मुख्यशीर्ष 5054 तथा 4853 में वर्गीकृत पूंजीगत व्यय ₹ 97.12 करोड एवं ₹ 475.33 करोड़ की प्रतिपूर्ति क्रमशः केन्द्रीय सड़क निधि एवं खनिज विकास निधि से किये गये है।

11 वर्ष 2016–17 में केन्द्र शासन के राष्ट्रीय लघु बचत निधि से कोई भी कर्ज प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु ₹ 420.53 करोड एवं ₹ 614.82 करोड़ का मूल तथा ब्याज भुगतान किया गया है।

12 विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड–II के विवरण क्रमांक 21 देखें।

13 उचंत एवं विविध में ''अन्य लेखे'' जैसे–रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि शामिल होने के कारण आंकड़े बहुत बड़ा दिखता है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विवरण क्रमांक 21 देखें।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

शासन की सकल रोकड़ स्थिति	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
क–सामान्य रोकड़ शेष		
(1) कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2) रिजर्व बैंक में जमा[14]	339.18[15]	(–) 577.94
योग	**339.18**	**(–) 577.94**
(3) ''रोकड़ शेष निवेश लेखा'' में किया गया निवेश	2,512.00	1,856.17
योग–(क)–सामान्य रोकड़ शेष	**2,851.18**	**1,278.23**
ख–अन्य रोकड़ शेष और निवेश–		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे–वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव आदि के पास रोकड़	8.70	11.54
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियां	0.34	0.32
(3) पृथक उद्दिष्ट निधियों का निवेश	1,798.63	1,543.63
योग–(ख)–अन्य रोकड़ शेष और निवेश–	**1,807.67**	**1,555.49**
योग (क) एवं (ख)	**4,658.85**	**2,833.72**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(क) **रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य** :– रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य के अंतर्गत कोषालय में नगद एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा एवं मार्गस्थ प्रेषण सम्मिलित है। उपरोक्त क (2) में दर्शित ''भारतीय रिजर्व बैंक'' जमा के अन्तर्गत वर्ष के अन्त में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के समेकित शेषों को प्रदर्शित करता है। समग्र रोकड़ स्थिति की गणना हेतु कोषालयों एवं विभागों में नगद शेष तथा आरक्षित निधियों से निवेश, आदि को रिजर्व बैंक जमा शेषों में सम्मिलित किया जाता है।

(ख) **दैनिक रोकड़ शेष :–** रिजर्व बैंक के साथ किये गये करार के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार को बैंक में ₹ 0.72 करोड़ का न्यूनतम शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि, किसी भी दिवस मे करार के अनुसार निश्चित शेष राशि से कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति रिजर्व बैंक से समय–समय पर विशेष आहरण सुविधा एवं साधारण अर्थोपाय अग्रिम/अधिविवर्षण लेकर की जाती है। वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विशेष आहरण सुविधा अथवा साधारण अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिये गये।

अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण को स्वीकृत करने के उद्देश्य से दैनिक रोकड़ शेष[16] की गणना हेतु 14 दिवसीय ट्रेज़री बिलों की धारिता, साथ में वर्तमान दिवस को सूचित लेन–देनों (भारतीय रिज़र्व बैंक के

[14] रिजर्व बैक में जमा शीर्ष के अन्तर्गत शेष का निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के 10 अप्रैल 2017 तक के अन्तः शासन मौद्रिक समाशोधन के संव्यवहारों को सम्मिलित किया गया है।

[15] मार्च 2017 के लेखे बंद होने पर भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 339.18 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 396.43 करोड़ (जमा) के मध्य ₹ 57.25 करोड़ (जमा) का अन्तर था, जो पुनर्मिलान के अधीन है। यह अंतर कोषालय अधिकारियों द्वारा तिथिवार मासिक विवरण का त्रुटिपूर्ण सत्यापन तथा एजेन्सी बैंक एवं नोड़ल बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को त्रुटिपूर्ण सूचना देने के कारण है।

[16] उपर्युक्त 'भारतीय रिजर्व बैंक जमा' का रोकड़ शेष वर्ष का 31 मार्च, 2017 की स्थिति का अंत शेष है किन्तु दिनांक 10 अप्रैल 2017 तक आकलित की गई है, एवं केवल 31 मार्च, 2017 का दैनिक रोकड़ शेष नहीं है ।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

शाखाओं, अंतः सरकार लेन–देनों तथा अभिकर्त्ता बैंकों द्वारा सूचित कोषालय के लेन–देनों) के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक आकलन करती है। इस तरह आकलित शेष में 14 दिवसीय ट्रेज़री बिलों की परिपक्वता (यदि कोई हो) जोड़ा जाता है तथा न्यूनतम रोकड़ शेष रखते अधिक शेष यदि हो, तो उसे ट्रेजरी बिलों में पुनः निवेश किया जाता है। यदि आकलित निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम शेष से कम होता है अथवा क्रेडिट शेष हो और उस दिवस को 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल परिपक्व नहीं होता हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक धारित 14 दिवसीय ट्रेजरी बिलों की भुनाती है एवं उस कमी को पूरा कर लेती है और यदि उस दिवस को 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल नहीं हो तो राज्य शासन अर्थोपाय अग्रिम/विशेष आहरण सुविधा/अधिविकर्ष हेतु आवेदन करता है।

(ग) **आहरण सुविधा की सीमा** : 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक राज्य शासन के साधारण आहरण सुविधा की सीमा ₹ 660.00 करोड था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गवर्नमेंट सिक्यूरिटी के बंधक पर विशेष आहरण सुविधा देने पर सहमति दी गई है। बैंक द्वारा विशेष आहरण सुविधा की सीमा समय–समय पर संशोधन किया जाता है। विशेष आहरण सुविधा की सीमा निम्नानुसार है :

तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
01.04.2016 से 10.04.2016	344.78
11.04.2016	344.79
12.04.2016	344.82
13.04.2016 से 15.04.2016	344.79
16.04.2016 से 17.04.2016	343.13
18.04.2016 से 21.04.2016	344.83
22.04.2016 से 02.05.2016	344.84
03.05.2016 से 04.05.2016	344.96
05.05.2016 से 06.05.2016	344.84
07.05.2016 से 08.05.2016	342.42
09.05.2016 से 11.05.2016	344.82
12.05.2016 से 15.05.2016	341.86
16.05.2016 से 19.05.2016	344.82
20.05.2016 से 23.05.2016	345.13
24.05.2016	346.92
25.05.2016 से 01.06.2016	347.03
02.06.2016 से 10.06.2016	349.85
11.06.2016 से 12.06.2016	349.84
13.06.2016 से 21.06.2016	348.85
22.06.2016	349.87
23.06.2016 से 30.06.2016	257.54
01.07.2016	282.69
02.07.2016 से 03.07.2016	272.86
04.07.2016 से 08.07.2016	282.19

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा–जारी

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
09.07.2016 से 10.07.2016	265.22
11.07.2016 से 12.07.2016	282.42
13.07.2016 से 15.07.2016	282.41
16.07.2016 से 17.07.2016	281.29
18.07.2016 से 27.07.2016	282.40
28.07.2016 से 31.07.2016	282.56
01.08.2016	273.03
02.08.2016	276.22
03.08.2016 से 15.08.2016	273.34
16.08.2016	278.25
17.08.2016	270.54
18.08.2016 से 26.08.2016	273.25
27.08.2016 से 28.08.2016	270.88
29.08.2016 से 18.09.2016	273.20
19.09.2016 से 20.09.2016	273.41
21.09.2016 से 23.09.2016	273.99
24.09.2016 से 25.09.2016	268.94
26.09.2016 से 29.09.2016	275.19
30.09.2016	279.27
01.10.2016 से 10.10.2016	272.25
11.10.2016 से 12.10.2016	269.60
13.10.2016 से 15.10.2016	272.23
16.10.2016	270.53
17.10.2016 से 21.10.2016	272.19
22.10.2016 से 23.10.2016	270.78
24.10.2016 से 07.11.2016	272.16
08.11.2016	274.53
09.11.2016 से 14.11.2016	272.10
15.11.2016	275.23
16.11.2016 से 19.11.2016	272.20
20.11.2016	260.91
21.11.2016 से 23.11.2016	272.23
24.11.2016	275.06
25.11.2016	279.83
26.11.2016 से 01.12.2016	275.05
02.12.2016 से 04.12.2016	278.34
05.12.2016 से 09.12.2016	279.15
10.12.2016 से 11.12.2016	275.49
12.12.2016	275.48

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा–समाप्त

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
13.12.2016 से 31.12.2016	279.20
01.01.2017	275.81
02.01.2017 से 03.01.2017	278.92
04.01.2017 से 08.01.2017	275.40
09.01.2017 से 10.01.2017	292.65
11.01.2017 से 13.01.2017	275.85
14.01.2017 से 15.01.2017	275.73
16.01.2017 से 17.01.2017	276.96
18.01.2017 से 27.01.2017	275.85
28.01.2017 से 29.01.2017	275.82
30.01.2017 से 01.02.2017	276.02
02.02.2017 से 14.02.2017	276.35
15.02.2017 से 16.02.2017	277.04
17.02.2017 से 27.02.2017	274.34
28.02.2017 से 02.03.2017	274.35
03.03.2017 से 14.03.2017	459.12
15.03.2017 से 19.03.2017	367.42
20.03.2017	368.73
21.03.2017 से 23.03.2017	373.21
24.03.2017 से 27.03.2017	379.38
28.03.2017 से 29.03.2017	374.33
30.03.2017 से 31.03.2017	374.71

अर्थोपाय अग्रिम पर भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दर के अनुसार ब्याज प्रभारित होता है, जो निम्नानुसार है :

तालिका : अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज का विवरण

सरल क्रमांक	शीर्षक	दर
1.	90 दिवस तक साधारण आहरण अग्रिम	रेपो रेट
2.	91 दिवस से अधिक	रेपो रेट + एक *प्रतिशत*
3.	विशेष आहरण सुविधा	रेपो रेट – एक *प्रतिशत*
4.	शत *प्रतिशत* साधारण अर्थोपाय अग्रिम तक अधिविकर्षण	रेपो रेट + दो *प्रतिशत*
5.	शत *प्रतिशत* साधारण अर्थोपाय अग्रिम से अधिक के अधिविकर्षण	रेपो रेट + पॉच *प्रतिशत*

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–समाप्त
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

वर्ष 2016–17 में रेपो रेट निम्नानुसार है :

तालिका : रेपो रेट का विवरण

अवधि	रेपो रेट
01.04.2016 से 04.04.2016	6.75 *प्रतिशत*
05.04.2016 से 03.10.2016	6.50 *प्रतिशत*
04.10.2016 से 31.03.2017	6.25 *प्रतिशत*

वर्ष 2016–17 की अवधि में राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से तय की हुई न्यूनतम शेष राशि को बनाये रखने में कहॉ तक समर्थ थी, नीचे दर्शाया गया है :

(i) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष राशि बिना अग्रिम लिए बनाये रखी गई — 365

(ii) दिनों की सख्या, जब न्यूनतम राशि साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखी गई — निरंक

(iii) दिनों की सख्या, जब न्यूनतम राशि विशेष आहरण सुविधा लेकर बनाए रखी गई — निरंक

(iv) दिनों की संख्या, जब उपरोक्त अग्रिम का उपयोग करने के बावजूद न्यूनतम अवशेष मे कमी थी, किन्तु कोई अधिविकर्षण नही लिया गया। — निरंक

(v) दिनों की संख्या जब अधिविकर्षण लिये गए — निरंक

(घ) 31 मार्च 2017 को सामान्य रोकड़ शेष से किये गए निवेशों का विवरण निम्नानुसार है :

तलिका : रोकड़ शेष निवेश की जानकारी

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	प्रतिभूतियों का नाम	राशि
1.	भारत सरकार के खजाना बिल	2,512.00
	योग	**2,512.00**

(ड) वर्ष 2015–16 मे ₹ 50.35 करोड़ रूपयों के विरूद्ध में वर्ष 2016–17 के दौरान उपरोक्त निवेशो पर ₹ 126.78 करोड़ रूपयों का ब्याज प्राप्त हुआ।

(च) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंको और समितियों के अंशपूजी में किए गए निवेशों के ब्यौरे विवरण 19–''सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण'' में दिये गये है।

(छ) पृथक उद्दिष्ट निधियों से निवेशित राशियां की जानकारी विवरण 22–''उदिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण'' में दर्शाई गई है।

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2016–17	2015–16
I. कर तथा करेत्तर राजस्व			
(क)	कर राजस्व		
क.1	**स्वयं के कर राजस्व**	**18,945.21**	**17,074.86**
	भू–राजस्व	503.66	363.84
	स्टाम्प और पंजीकरण फीस	1,211.35	1,185.22
	राज्य उत्पाद शुल्क	3,443.51	3,338.40
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	9,927.21	8,908.36
	माल तथा यात्री कर	1,340.36	1,040.26
	वाहन कर	985.27	829.22
	विद्युत कर तथा शुल्क	1,495.48	1,372.84
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	29.06	28.79
	होटल प्राप्ति कर	8.71	7.26
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.60	0.67
क.2	**संघीय करों/शुल्क के निवल आगमों का अंश**	**18,809.16**	**15,716.47**
	निगम कर	6,019.53	4,950.08
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	4,183.59	3,455.09
	धन कर	13.78	0.92
	सीमा शुल्क	2,589.37	2,504.03
	संघ उत्पाद शुल्क	2,956.84	2,069.99
	सेवा कर	3,045.99	2,727.11
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.06	9.16
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.00	0.09
	योग–(क)	**37,754.37**	**32,791.33**
(ख)	करेतर राजस्व–		
	ब्याज प्राप्तियां	157.24[1]	108.23
	अन्य–		
	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	4,141.47[2]	3,709.52
	वृहद् सिंचाई	437.35	502.17
	वानिकी और वन्य प्राणी	405.15	409.75
	लघु सिंचाई	180.84	121.91
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	46.50	43.15
	लोक निर्माण कार्य	41.12	42.74
	अन्य प्रशासनिक सेवायें	36.66	65.52
	अन्य सामाजिक सेवाएं	28.71	29.15
	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	27.04	13.07

[1] राज्य शासन द्वारा उगाहे गये ऋणों पर प्राप्त ₹ 10.74 करोड़ का प्रीमियम सम्मिलित है।

[2] कोल ब्लाक की निलामी से प्राप्त ₹ 857.76 करोड़ तथा कोयला के अलावा अन्य मुख्य खनिजों के निलामी से प्राप्त ₹ 5.26 करोड़ कुल ₹ 863.02 करोड़ सम्मिलित है।

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2016–17	2015–16
	I. कर तथा करेत्तर राजस्व		
(ख)	**करेतर राजस्व–समाप्त**		
	अन्य–समाप्त		
	विविध सामान्य सेवायें	21.84	9.46
	श्रम तथा रोजगार	19.35	16.52
	पुलिस	15.29	11.40
	फसल कृषि–कर्म	14.40	10.57
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	11.22	30.20
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	8.73	7.92
	जेल	7.72	5.93
	समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	7.71	3.49
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	7.44	6.20
	शहरी विकास	6.74	3.11
	मध्यम सिंचाई	6.28	6.10
	पशु पालन	6.25	6.43
	जलपूर्ति तथा सफाई	5.70	9.23
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	4.48	2.58
	मछली पालन	4.09	3.73
	सहकारिता	4.05	11.30
	आवास	3.70	3.50
	अन्य कृषि कार्यक्रम	2.46	2.04
	लोक सेवा आयोग	2.28	5.78
	उद्योग	1.95	1.22
	सड़क तथा सेतु	1.83	2.36
	ग्राम तथा लघु उद्योग	1.79	1.24
	नागर विमानन	0.71	3.32
	लाभांष तथा लाभ	0.55	5.73
	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार	0.49	0.08
	सूचना तथा प्रचार	0.06	0.09
	परिवार कल्याण	0.05	0.05
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.01	0.00
	योग–अन्य	**5,512.01**	**5,106.56**
	योग–(ख)	**5,669.25**	**5,214.79**
	II-भारत सरकार से प्राप्त अनुदान		
(ग)	**केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान**		
	योजनेतर अनुदान		
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान	1,160.11	718.57
	राज्य आपदा मोचन निधि के अंशदान हेतु अनुदान	94.87	249.73
	राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि से अनुदान	313.39	522.31
	अन्य अनुदान	445.05	838.18
	योग–योजनेतर अनुदान	**2,013.42**	**2,328.79**

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण–समाप्त

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	2016–17	2015–16
II-भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			
(ग)	**केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान–समाप्त**		
	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		
	ब्लॉक अनुदान	1.61[3]	48.27
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान	222.06	227.14
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	97.12	84.13
	अन्य अनुदान	7,464.24	4,416.29
	योग–राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	**7,785.03**	**4,775.83**
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमो के लिए अनुदान	**64.59**	**91.37**
	केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमो के लिए अनुदान	**398.59**	**865.60**
	योग–ग	**10,261.63**	**8.061.59**
	कुल राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)	**53,685.25**	**46,067.71**
III-पूंजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियां			
घ	**पूंजीगत प्राप्तियां**		
	अन्य	2.37	2.84
	योग–घ	**2.37**	**2.84**
ड.	**लोक ऋण प्राप्तियां**		
	आन्तरिक ऋण	**5,098.40**	**7,105.87**
	बाजार कर्जे	4,200.00	4,850.00
	प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	0.00	870.12
	वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	898.40[4]	673.52
	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियॉ	0.00	712.23
	केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा पेशगियॉ	**381.53**	**145.28**
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजना के लिए कर्जे	381.53	145.28
	योग–ड.	**5,479.93**	**7,251.15**
च	राज्य शासन द्वारा कर्जे तथा पेशगियॉ वसूलियां[5]	**172.99**	**296.39**
छ	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	**0.38**	**0.52**
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियां[6] (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ)	**59,340.92**	**53,618.61**

[3] यह राशि बाहय सहायित परियोजनाएं से संबंधित है। परियोजनावार विस्तृत जानकारी के लिए कृपया खण्ड–II में परिशिष्ट–IV देखें।
[4] राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से (₹ 898.02 करोड) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (₹ 0.38 करोड) से प्राप्त ऋण सम्मिलित है।
[5] विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड–I एवं II में विवरण संख्या 7 एवं 18 देखें।
[6] विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड–I एवं खण्ड–II में विवरण संख्या 6, 7, 14, 17 एवं 18 देखें।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण

(क) कार्यात्मक व्यय (₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
क	सामान्य सेवायें				
क.1	राज्य के अंग				
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	34.72	0.00	0.00	34.72
	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	7.92	0.00	0.00	7.92
	मंत्रि–परिषद	39.04	0.00	0.00	39.04
	न्याय प्रशासन	203.22	0.00	0.00	203.22
	निर्वाचन	19.78	0.00	0.00	19.78
क.2	राजकोषीय सेवाएं				
	भू–राजस्व	582.66	0.00	0.00	582.66
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	127.36	0.00	0.00	127.36
	राज्य उत्पाद शुल्क	166.61	0.00	0.00	166.61
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	56.72	0.00	0.00	56.72
	वाहन कर	21.32	0.00	0.00	21.32
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	247.91	0.00	0.00	247.91
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.90	0.00	0.00	0.90
क.3	ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा				
	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	200.00	0.00	0.00	200.00
	ब्याज की अदायगियॉ	2,686.83	0.00	0.00	2,686.83
क.4	प्रशासनिक सेवाएं				
	लोक सेवा आयोग	14.43	0.00	0.00	14.43
	सचिवालय–सामान्य सेवाएं	108.39	0.00	0.00	108.39
	जिला प्रशासन	215.37	0.00	0.00	215.37
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	55.95	0.00	0.00	55.95
	पुलिस	2,624.55	28.74	0.00	2,653.29
	जेल	123.57	0.00	0.00	123.57
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	10.23	0.00	0.00	10.23
	लोक निर्माण–कार्य	319.25	158.80	0.00	478.05
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	142.96	0.00	0.00	142.96
क.5	पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं				
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3,486.27	0.00	0.00	3,486.27
	विविध सामान्य सेवाएं	0.27	0.00	0.00	0.27
	योग–क–सामान्य सेवाएं	**11,496.23**	**187.54**	**0.00**	**11,683.77**

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण–जारी

(क) कार्यात्मक व्यय–जारी (₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
ख	**सामाजिक सेवाएं**				
ख.1	**शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (कृपया विवरण के नीचे की टीप 1 देखें।)**				
	सामान्य शिक्षा	10,805.24	516.95[1]	0.00	11,322.19
	तकनीकी शिक्षा	193.29	0.00	0.00	193.29
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	42.52	0.00	0.00	42.52
	कला एवं संस्कृति	38.31	0.00	0.00	38.31
ख.2	**स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण**				
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2,768.83	325.00	0.00	3,093.83
	परिवार कल्याण	198.44	0.00	0.00	198.44
ख.3	**जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास**				
	जलपूर्ति तथा सफाई	1,337.58	334.13	63.07	1,734.78
	आवास	1,249.59	26.87	0.00	1,276.46
	शहरी विकास	1,516.90	736.03	107.50	2,360.43
ख.4	**सूचना तथा प्रसारण**				
	सूचना तथा प्रचार	121.22	0.02	0.00	121.24
ख.5	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण**				
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	196.36	366.88	0.00	563.24
ख.6	**श्रमिक तथा श्रम कल्याण**				
	श्रम तथा रोजगार	220.04	0.00	0.00	220.04
ख.7	**समाज कल्याण तथा पोषण**				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,424.67	77.07	0.00	1,501.74
	पोषण	646.43	0.00	0.00	646.43
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	560.57	0.00	0.00	560.57
ख.8	**अन्य**				
	अन्य सामाजिक सेवाएं	9.41	77.67	0.00	87.08
	सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	12.21	0.00	0.00	12.21
	योग–ख–सामाजिक सेवाएं	**21,341.61**	**2,460.62**	**170.57**	**23,972.80**

[1] उपक्षेत्र, शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति के अंतर्गत सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेलकूद एवं युवा सेवाएं तथा कला एवं संस्कृति हेतु पृथक राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष है, किन्तु इन राजस्व मुख्यशीर्षो हेतु एक ही पूंजीगत मुख्यशीर्ष–4202–शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय है। इन चार मुख्यशीर्षो के पूंजीगत व्यय मुख्यशीर्ष–4202 के अन्तर्गत उप मुख्यशीर्ष स्तर पर दर्ज किये जाते है। वर्ष 2016–17 में इन शीर्षो में क्रमशः ₹ 410.85 करोड़, ₹ 91.87 करोड़, ₹ 14.23 करोड तथा निरंक करोड़ राशि दर्ज किये गये है।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण–जारी

(क) कार्यात्मक व्यय–जारी (₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
ग	**आर्थिक सेवाएं–**				
ग.1	**कृषि तथा संबद्ध क्रिया–कलाप**				
	फसल कृषि कर्म	1,537.65	3.65	0.00	1,541.30
	मृदा तथा जल संरक्षण	122.81	19.38	0.00	142.19
	पशु पालन	346.27	9.09	0.00	355.36
	मछली पालन	74.44	1.56	0.00	76.00
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	1,030.74	16.79	0.00	1,047.53
	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार	3,212.97	(–) 0.77[2]	46.74	3,258.94
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	108.01	1.00	0.00	109.01
	सहकारिता	318.86	41.31	55.40	415.57
	अन्य कृषि कार्यक्रम	16.96	0.00	0.00	16.96
ग.2	**ग्राम विकास**				
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	252.87	0.00	0.00	252.87
	ग्राम रोजगार	2,330.29	0.00	0.00	2,330.29
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	1,715.95	366.70	0.00	2,082.65
ग.3	**विशेष क्षेत्र कार्यक्रम**	0.00	0.00	0.00	0.00
ग.4	**सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण**				
	वृहद सिंचाई	66.96	691.60	0.00	758.56
	मध्यम सिंचाई	349.05	118.08	0.00	467.13
	लघु सिंचाई	92.62	1,045.88	0.00	1,138.50
	कमान विकास क्षेत्र	3.30	17.59	0.00	20.89
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	12.90	14.99	0.00	27.89
ग.5	**उर्जा**				
	बिजली	1,009.77	720.02	0.00	1,729.79
	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	26.12	187.44	0.00	213.56
ग.6	**उद्योग तथा खनिज**				
	ग्राम तथा लघु उद्योग	156.60	84.34	0.00	240.94
	उद्योग	118.62	26.30	0.00	144.92
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	477.60	0.42	0.00	478.02
	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	5.50	0.00	0.00	5.50
ग.7	**परिवहन**				
	नागर विमानन	0.49	14.86	0.00	15.35
	सड़क तथा सेतु	653.10	3,408.03	0.00	4,061.13

[2] ऋणात्मक राशि व्यय से अधिक प्राप्ति होने के कारण है। वर्ष 2016–17 के दौरान इस शीर्ष में ₹ 0.77 करोड़ की प्राप्ति हुई है तथा व्यय निरंक है।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण–जारी

(क) कार्यात्मक व्यय–समाप्त (₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
ग	**आर्थिक सेवाएं–समाप्त**				
ग.8	**संचार**				
	अन्य संचार सेवाएं	59.09	7.18	0.00	66.27
ग.9	**विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण**				
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	12.48	0.30	0.00	12.78
ग.10	**सामान्य आर्थिक सेवाएं**				
	सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	14.94	0.00	0.00	14.94
	पर्यटन	22.85	26.61	0.00	49.46
	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	19.82	0.00	0.00	19.82
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	6.58	0.00	0.00	6.58
	योग–ग–आर्थिक सेवाएं	**14,176.21**	**6,822.35**	**102.14**	**21,100.70**
घ	**सहायता अनुदान तथा अंशदान**				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1,150.55	0.00	0.00	1,150.55
	योग–घ–सहायता अनुदान तथा अंशदान	**1,150.55**	**0.00**	**0.00**	**1,150.55**
ड.	**लोक ऋण–**				
	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	982.67	982.67
	केन्द्र सरकार से कर्जे तथा पेशगियां	0.00	0.00	169.96	169.96
	योग–ड–लोक ऋण	**0.00**	**0.00**	**1,152.63**	**1,152.63**
च	**अन्तर्राज्यीय समाशोधन–**	**0.00**	**0.00**	**0.44**	**0.44**
	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	**0.00**	**0.00**	**60.00**	**60.00**
	योग–समेकित निधि व्यय	**48,164.60**	**9,470.51**	**1,485.78**	**59,120.89**

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण–जारी

ख–व्यय का स्वरूप (₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2016–17			2015–16			2014–15		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
1	14–सहायक अनुदान	18,993.71	45.94	19,039.65	13,751.10	84.07	13,835.17	15,159.76	3.12	15,162.88
2	01–वेतन	10,780.63	84.47	10,865.10	10,210.55	87.95	10,298.50	9,339.82	78.81	9,418.63
3	13–आर्थिक सहायता	4,189.14	0.00	4,189.14	7,397.12	0.00	7,397.12	3,746.58	0.00	3,746.58
4	97–निर्माण कार्य	1.29	4,100.58	4,101.87	0.71	3,205.87	3,206.58	3.09	2,858.38	2,861.47
5	12–पेंशन एवं हितलाभ	3,459.20	0.00	3,459.20[3]	3,492.79	0.00	3,492.79	3,223.82	0.00	3,223.82
6	26–वृहद निर्माण कार्य	0.00	2,984.07	2,984.07	54.68	3,001.98	3,056.66	109.99	1,813.92	1,923.91
7	35–ब्याज/ऋण अदायगी	2,686.83	0.00	2,686.83	2,148.91	0.00	2,148.91	1,726.62	0.00	1,726.62
8	25–सामग्री और पूर्तियॉ	1,936.22	0.00	1,936.22	1,539.06	2.81	1,541.87	1,401.84	5.35	1,407.19
9	37–अंतः लेखा अन्तरण	1,708.29	0.00	1,708.29	1,713.85	0.00	1,713.85	823.66	0.00	823.66
10	45–पूंजीगत परि–संपत्तियों का निर्माण	0.00	1,432.94	1,432.94	0.00	1,265.85	1,265.85	0.00	1,013.54	1,013.54
11	11–छात्रवृत्तियां वृत्तियां एवं अन्य हितलाभ	746.00	0.00	746.00	638.45	0.00	638.45	719.07	0.00	719.07
12	27–लघु निर्माण कार्य	421.09	318.65	739.74	815.66	26.21	841.87	710.82	667.15	1,377.97
13	42–बीमा	645.21	0.00	645.21	215.74	0.00	215.74	285.14	0.00	285.14
14	32–निवेश	0.00	603.02	603.02	0.00	21.46	21.46	0.00	44.30	44.30
15	24–अनुरक्षण कार्य	571.08	0.95	572.03	543.47	0.41	543.88	687.14	0.41	687.55
16	02–मजदूरी	558.65	0.00	558.65	566.02	0.00	566.02	584.70	0.00	584.70
17	04–कार्यालय व्यय	515.57	0.85	516.42	482.64	0.25	482.89	435.97	0.24	436.21
18	07–कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना	296.10	41.13	337.23	277.44	35.76	313.20	236.78	35.80	272.58
19	30–अंशदान	315.17	0.00	315.17	116.52	0.00	116.52	210.57	0.00	210.57
20	31–क्षतिपूर्ति	25.80	284.73	310.53	12.61	184.94	197.55	5.77	158.18	163.95
21	29–भूमी एवं भवन की खरेदी	0.00	234.08	234.08	0.00	266.14	266.14	0.00	0.00	0.00

[3] मुख्यशीर्ष 2071 के अंतर्गत सेवानिवृत शासकीय कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों आदि के सेवानिवृत्ति लाभ की राशि ₹ 3,458.86 करोड़, मुख्यशीर्ष 2075 के अन्तर्गत राजनेता पेंशन की राशि ₹ 0.01 करोड़ एवं मुख्यशीर्ष 2235 के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन ₹ 0.33 करोड़ सम्मिलित है।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण–जारी

ख–व्यय का स्वरूप–जारी (₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2016–17			2015–16			2014–15		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
22	10–व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियॉ	210.68	2.91	213.59	118.52	0.25	118.77	92.99	0.61	93.60
23	09–विज्ञापन एवं प्रचार	145.68	0.00	145.68	85.36	0.00	85.36	93.08	0.00	93.08
24	28–मशीन और उपकरण	33.92	109.44	143.36	51.99	71.60	123.59	45.71	51.53	97.24
25	05–प्रशिक्षण	114.51	0.00	114.51	95.98	0.00	95.98	32.38	0.00	32.38
26	03–यात्रा भत्ता	74.13	1.99	76.12	70.92	1.57	72.49	85.57	1.40	86.97
27	22–शस्त्रास्त्र एवं गोला बारूद	55.45	0.00	55.45	38.23	0.00	38.23	34.91	0.00	34.91
28	89–परिवहन व्यय	42.71	0.00	42.71	47.26	0.00	47.26	39.33	0.00	39.33
29	17–सम्मेलन	33.80	0.00	33.80	15.74	0.00	15.74	7.50	0.00	7.50
30	34–वाहनों का क्रय	6.77	25.18	31.95	20.70	0.00	20.70	24.57	0.00	24.57
31	74–मेला, उत्सव, प्रदर्शनी	25.67	0.00	25.67	25.54	0.00	25.54	27.65	0.00	27.65
32	06–सर्वेक्षण	14.24	5.52	19.76	10.92	10.01	20.93	2.58	3.19	5.77
33	63–स्टॉक	13.39	0.00	13.39	12.64	0.00	12.64	9.79	0.00	9.79
34	19–गोपनीय सेवा व्यय	12.73	0.00	12.73	8.03	0.00	8.03	6.30	0.00	6.30
35	18–पारितोषिक	12.61	0.00	12.61	6.66	0.00	6.66	2.62	0.00	2.62
36	43–निर्वाचन व्यय	12.19	0.00	12.19	30.31	0.00	30.31	62.04	0.00	62.04
37	86–कोचिंग / प्रतियोगितायें	11.87	0.00	11.87	10.56	0.00	10.56	9.23	0.00	9.23
38	08–प्रकाशन	10.17	0.00	10.17	3.79	0.00	3.79	2.97	0.00	2.97
39	15–डिक्री धन का भुगतान	0.87	5.69	6.56	1.81	3.99	5.80	1.02	5.02	6.04
40	50–मंत्री के मोटर गाड़ियो हेतु पेट्रोल	3.89	0.00	3.89	3.40	0.00	3.40	3.15	0.00	3.15
41	55–जनसंपर्क दौरे के सहायता अनुदान	3.55	0.00	3.55	3.45	0.00	3.45	3.34	0.00	3.34
42	33–औजार एवं सयंत्र	3.27	0.01	3.28	13.59	4.15	17.74	10.02	0.02	10.04
43	57–अतिथ्य व्यय	3.01	0.00	3.01	2.75	0.00	2.75	3.41	0.00	3.41
44	72–साज सज्जा पर व्यय	2.10	0.00	2.10	2.01	0.00	2.01	3.73	0.00	3.73
45	49–दैनिक भत्ते	1.19	0.00	1.19	0.70	0.00	0.70	0.43	0.00	0.43
46	52–सुसज्जित आवासो हेतु बिजली तथा पानी	1.02	0.00	1.02	1.03	0.00	1.03	1.04	0.00	1.04

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण–समाप्त

ख–व्यय का स्वरूप–समाप्त (₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2016–17			2015–16			2014–15		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
47	69–गैर शासकीय मानदेय	1.02	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	1.20	0.00	1.20
48	90–पारिश्रमिक	0.97	0.00	0.97	1.05	0.00	1.05	1.52	0.00	1.52
49	48–निर्वाचन भत्ता	0.79	0.00	0.79	0.49	0.00	0.49	0.32	0.00	0.32
50	21–साक्षियों पर व्यय	0.27	0.00	0.27	0.29	0.00	0.29	0.28	0.00	0.28
51	85–अन्वेषण तथा अनुसंधान	0.21	0.00	0.21	0.48	0.00	0.48	0.97	0.00	0.97
52	39–उचंत	0.00	0.22	0.22	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
53	44–अनपेक्षित व्यय	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
54	47–समचुअरी भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
55	40–घटाइयें–पुर्नप्राप्तियॉ	(-) 538.06	(-)811.86	(-)1,349.92	(-) 961.98	(-)330.41	(-)1,292.39	(-)459.50	(-)196.73	(-) 656.23
महायोग		**48,164.60**	**9,470.51**	**57,635.11**[4]	**43,701.06**	**7,945.01**	**51,646.07**	**39,561.29**	**6,544.25**	**46,105.54**

[4] ''ऋण तथा अग्रिम'', ''लोक ऋण'', ''अंतर्राज्यीय समायोजन'' एवं आकस्मिकता निधि को विनियोजन की राशि क्रमशः ₹ 272.71 करोड़, ₹ 1,152.63 करोड़, ₹ 0.44 करोड़ एवं ₹ 60.00 करोड़ का व्यय सम्मिलित नहीं किया गया।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2015–16 के दौरान व्यय	2015–16 तक प्रगामी व्यय	2016–17 के दौरान व्यय	2016–17 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2016–17 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की *प्रतिशतता*
क–सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	19.26	143.69	28.74	172.43	(+) 49.22
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	343.07	1,427.87	158.80	1,586.67	(–) 53.71
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	9.85	0.00	9.85	0.00
योग–क–सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा		**362.33**	**1,583.46**	**187.54**	**1,771.00**	**(–) 48.24**
ख–सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
(क)	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	497.27	2,658.80	516.95	3,175.75	(+) 3.96
योग–(क)–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा		**497.27**	**2,658.80**	**516.95**	**3,175.75**	**(+) 3.96**
(ख)	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	289.82	1,626.63	325.00	1,951.63	(+) 12.14
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	6.33	0.00	6.33	0.00
योग–(ख)–स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा		**289.82**	**1,632.96**	**325.00**	**1,957.96**	**(+) 12.14**
(ग)	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा					
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	143.76	315.36	334.13	649.49	(+) 132.42
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	21.45	656.73	26.87	683.60	(+) 25.27
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	491.83	2,698.81	736.03	3,434.84	(+) 49.65
योग (ग)–जलपूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा		**657.04**	**3,670.90**	**1,097.03**	**4,767.93**	**(+) 66.97**
(घ)	सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा					
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.02	0.77	0.02	0.79	0.00
योग–(घ)–सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा		**0.02**	**0.77**	**0.02**	**0.79**	**0.00**

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2015–16 के दौरान व्यय	2015–16 तक प्रगामी व्यय	2016–17 के दौरान व्यय	2016–17 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2016–17 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की *प्रतिशतता*
ख–सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–समाप्त						
(ङ)	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा**					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	240.73	2,080.84	366.88	2,447.72	(+) 52.40
योग–(ड़)–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा		**240.73**	**2,080.84**	**366.88**	**2,447.72**	**(+) 52.40**
(च)	**समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा**					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	49.26	523.64	77.07	600.71	(+) 56.46
योग–(च)–समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा		**49.26**	**523.64**	**77.07**	**600.71**	**(+) 56.46**
(छ)	**अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा–**					
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	72.87	238.35	77.67	316.02	(+) 6.59
योग–(छ)–अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा		**72.87**	**238.35**	**77.67**	**316.02**	**(+) 6.59**
योग–ख–सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		**1,807.01**	**10,806.26**	**2,460.62**	**13,266.88**	**(+) 36.17**
ग–आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–						
(क)	**कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा–**					
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	7.81	3.65	11.46	..
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	19.62	251.11	19.38	270.49	(–) 1.27
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4.03	31.80	9.09	40.89	(+) 125.56
4404	दुग्ध विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.36	0.00	0.36	..
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.75	7.70	1.56	9.26	(+) 108.00
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	19.13	324.70	16.79	341.49	(–) 12.23
4408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	(–) 0.79	64.05	(–) 0.77[1]	63.28	(+) 3.80
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.75	1.00	1.75	(+) 100.00
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	20.43	166.39	41.31	205.33[2]	(+) 102.20

[1] ऋणात्मक राशि व्यय से अधिक प्राप्ति होने के कारण है। वर्ष 2016–17 के दौरान इस शीर्ष में ₹ 0.77 करोड़ की प्राप्ति हुई है तथा व्यय निरंक है।

[2] सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृति के कारण अंतशेष में ₹ 2.37 करोड़ कम किया गया है।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2015–16 के दौरान व्यय	2015–16 तक प्रगामी व्यय	2016–17 के दौरान व्यय	2016–17 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2016–17 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की *प्रतिशतता*
ग–आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–जारी						
(क)	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा–समाप्त					
4435	अन्य कृषि कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
योग–(क)–कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा		**63.17**	**854.69**	**92.01**	**944.33**[3]	**(+) 45.65**
(ख)	ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा					
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	721.19	2,531.38	366.70	2,898.08	(–) 49.15
योग–(ख)–ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा		**721.19**	**2,531.38**	**366.70**	**2,898.08**	**(–) 49.15**
(घ)	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा					
4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	589.20	5,743.86	691.60	6,435.46	(+) 17.38
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	66.41	1,390.29	118.08	1,508.37	(+) 77.80
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,057.61	8,352.62	1,045.88	9,398.50	(–) 1.11
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	18.33	429.70	17.59	447.29	(–) 4.04
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.16	77.77	14.99	92.76	(+) 190.50
योग–[4](घ)–सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा		**1,736.71**	**15,994.24**	**1,888.14**	**17,882.38**	**(+) 8.72**
(ड)	ऊर्जा का पूंजीगत लेखा					
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	130.00	6,113.55	720.02	6,833.57[5]	(+) 453.86
4810	अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	187.44	187.44	(+) 100.00
योग–(ड़)–ऊर्जा का पूंजीगत लेखा		**130.00**	**6,113.55**	**907.46**	**7,021.01**	**(+) 598.05**
(च)	उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	37.97	452.33	84.34	536.67	(+)122.12
4852	लोहा तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	15.00	20.00	26.30	46.30	(+)75.33
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	1.00	0.42	1.42	(+) 100.00
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0.00	15.30	0.00	15.30	0.00
योग–(च)–उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा		**52.97**	**488.93**	**111.06**	**599.99**	**(+) 109.67**

[3] सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृति के कारण अंतशेष में ₹ 2.37 करोड़ कम किया गया है।

[4] उपक्षेत्र 'ग' विशेष क्षेत्र कार्यकम में पूंजीगत लेखा के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 4551, 4552 एवं 4575 के अन्तर्गत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किया गया है।

[5] प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रभाजित किये गये अंशपूंजी की ₹ 23.11 करोड़ सम्मिलित है।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण–समाप्त

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2015–16 के दौरान व्यय	2015–16 तक प्रगामी व्यय	2016–17 के दौरान व्यय	2016–17 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2016–17 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की *प्रतिशतता*
ग–आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–समाप्त						
(छ)	**परिवहन का पूंजीगत लेखा**					
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	56.79	162.16	14.86	177.02	(–) 73.83
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,012.13	15,172.43	3,408.03	18,580.46	(+) 13.14
योग–(छ)–परिवहन का पूंजीगत लेखा		**3,068.92**	**15,334.59**	**3,422.89**	**18,757.48**	**(+) 11.53**
(ज)	**संचार का पूंजीगत लेखा**					
5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	7.18	7.18	(+) 100.00
योग–(ज)– संचार का पूंजीगत लेखा		**0.00**	**0.00**	**7.18**	**7.18**	**(+) 100.00**
(झ)	**विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा**					
5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	2.71	8.61	0.30	8.91	(–) 88.93
योग–(झ)–विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा		**2.71**	**8.61**	**0.30**	**8.91**	**(–) 88.93**
(ञ)	**सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	107.79	26.61	134.40	(+) 100.00
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
योग–(ञ)–सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		**0.00**	**107.97**	**26.61**	**134.58**	**(+) 100.00**
योग–ग–आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		**5,775.67**	**41,433.96**	**6,822.35**	**48,253.94[6]**	**(+) 18.12**
महायोग		**7,945.01**	**53,823.68**	**9,470.51**	**63,291.82[6]**	**(+) 19.20**

व्याख्यात्मक टिप्पणियॉ

1. वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के अंत तक राज्य सरकार का विभिन्न कम्पनी/निगमों/सरकारी समितियों एवं बैंकों की अंश पूंजी में कुल निवल निवेश क्रमशः ₹ 1,872.53 करोड़ ₹ 6,192.22 करोड़ तथा ₹ 6,778.60[7] है।
2. उक्त निवेश से वर्ष 2014–15 में ₹ 0.86 करोड़, वर्ष 2015–16 में ₹ 5.73 करोड़ तथा 2016–17 मे ₹ 0.55 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ।
3. अन्य जानकारियॉ विवरण 19–सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण में दिए गए हैं।

[6] सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृति के कारण अंतशेष में ₹ 2.37 करोड़ कम किया गया है।

[7] संयुक्त उपक्रम कम्पनियों (छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे मर्यादित) के अंशपूंजी में निवेशित ₹ 55.00 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों[1] का विवरण

(₹ करोड़ में)

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2016 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियॉं	31 मार्च 2017 को शेष	निवल वृद्धि(+)/कमी(–)		कुल दायित्वों का *प्रतिशत*
					राशि	*प्रतिशत*	
(क)–लोक ऋण							
6003–राज्य सरकार का आंतरिक ऋण							
बाज़ार कर्ज	14,554.44	4,200.00	302.32	18,452.12	(+) 3,897.68	(+) 26.78	42.49
प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	918.53	0.00	0.00	918.53	0.00	0.00	2.11
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	2,559.33	898.40	259.82	3,197.91	(+) 638.58	(+) 24.95	7.36
केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	6,182.26	0.00	420.53	5,761.73	(–) 420.53	(–) 6.80	13.27
योग–6003	**24,214.56**	**5,098.40**	**982.67**	**28,330.29**	**(+) 4,115.73**	**(+) 17.00**	**65.23**
6004–केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा अग्रिम							
01–योजनेतर कर्ज	2.16	0.00	0.53	1.63	(–) 0.53	(–) 24.54	0.00
02–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	1,832.79	381.53	169.43	2,044.89	(+) 212.10	(+) 11.57	4.71
03–केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
04–केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	(–) 0.23	0.00	0.00	(–) 0.23[2]	0.00	0.00	0.00
07–1984–85 पूर्व के कर्ज	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
योग–6004	**1,835.59**	**381.53**	**169.96**	**2,047.16**	**(+) 211.57**	**(+)11.53**	**4.71**
योग–लोक ऋण	**26,050.15**	**5,479.93**	**1,152.63**	**30,377.45**	**(+)4,327.30**	**(+)16.61**	**69.94**

[1] विस्तृत लेखा पृष्ठ क्रमांक 302 से 316 में दिए गए है।

[2] ऋणात्मक राशि, मध्य प्रदेश को प्रभाजित किया गया ₹ 0.23 करोड़ का ऋण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भुगतान किये जाने के कारण है। यह राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंतिम निर्णय किये जाने के पश्चात समायोजन/वसूली योग्य है।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण–जारी

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण–समाप्त

(₹ करोड़ में)

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2016 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियॉं	31 मार्च 2017 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (–)		कुल दायित्वों का *प्रतिशत*
					राशि	*प्रतिशत*	
(ख)–अन्य दायित्व							
लोक लेखा							
अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	4,165.51[3]	1,126.89	699.93	4,592.47	(+) 426.96	(+)10.25	10.57
ब्याज वाली आरक्षित निधियां	369.80[4]	566.51	243.11	693.20	(+) 323.40	(+) 87.45	1.60
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	1,588.38	1,050.87	989.47	1,649.78	(+) 61.40	(+) 3.87	3.80
ब्याज वाली जमा	72.45	313.01	314.75	70.71	(–) 1.74	(–) 2.40	0.16
बिना ब्याज वाली जमा	5,494.85	3,266.43	2,714.03	6,047.25	(+) 552.40	(+)10.05	13.92
योग–अन्य दायित्व	**11,690.99**[5]	**6,323.71**	**4,961.29**	**13,053.41**	**(+)1,362.42**	**(+)11.65**	**30.06**
योग–लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	**37,741.14**[5]	**11,803.64**	**6,113.92**	**43,430.86**	**(+)5,689.72**	**(+)15.08**	**100.00**

(ii) विवरण कमांक 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियॉं

1. परिशोधन हेतु व्यवस्था :

राज्य सरकार द्वारा निक्षेप निधि को प्रतिस्थापित करते हुए वर्ष 2006–07 से समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया। यह निधि वर्ष 2011–12 से राज्य सरकार के बकाया दायित्वों (आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखा दायित्वों) के परिशोधन में उपयोग किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा इस निधि में गत वर्ष के अन्त में कुल शेष दायित्वों का न्यूनतम 0.5 *प्रतिशत* अंशदान किया जायेगा जिसका स्रोत सामान्य राजस्व या अन्य स्रोत जैसे– विनिवेश से प्राप्त राजस्व, होगा। वर्ष 2016–17 में राज्य सरकार द्वारा बकाया दायित्वों के परिशोधन हेतु इस निधि का उपयोग नहीं किया गया है। निधि में वर्ष के प्रारंभ तथा वर्ष के अन्त में अवशेष निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

निधि का नाम	1 अप्रैल 2016 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान आहरण	31 मार्च 2017 को शेष
समेकित निक्षेप निधि	1,546.94	200.00	0.00	1,746.94

मार्च 2017 के अंत तक निक्षेप निधि का कुल शेष ₹ 1,746.94 करोड़ को भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया गया।

---

[3] प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से 1 नम्बर 2000 के पूर्व के शेषों का प्रोफार्मा अन्तरण प्राप्त होने के कारण प्रारंभिक शेष में ₹ 1.85 करोड़ (जमा) वृद्धि की गई है।

[4] विभाग द्वारा पुनर्मिलान के बाद वर्ष 2000–01 से 2014–15 तक के व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण ₹ 77.30 करोड़ कमी की गई।

[5] प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से 1 नम्बर 2000 के पूर्व के शेषों का प्रोफार्मा अन्तरण प्राप्त होने के कारण प्रारंभिक शेष में ₹ 1.85 करोड़ (जमा) वृद्धि की गई है एवं विभाग द्वारा पुनर्मिलान के बाद वर्ष 2000–01 से 2014–15 तक के व्यय की वास्तविक प्रतिपूर्ति के कारण राशि ₹ 77.30 करोड कमी की गयी। इस तरह राशि ₹ 75.45 करोड़ (निवल) की कमी हुई।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण–जारी

(ii) विवरण 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियॉ–जारी

2. **अल्प बचत निधि से कर्ज** : डाक घर में ''अल्प बचत योजना'' तथा ''लोक भविष्य निधि'' के संग्रहण से कर्जों का राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के मध्य बांटा जाता है। अल्प बचत संग्रहणों से कर्जे विमुक्त करने के उद्देश्य से ''राष्ट्रीय अल्प बचत निधि'' नाम से एक पृथक निधि वर्ष 1999–2000 में गठ़ित की गई। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग के निर्णय अनुसार राज्य सरकार को अल्प बचत संग्रहण में से दिये जाने वाले कर्ज 80 *प्रतिशत* से घटाकर 50 *प्रतिशत* किया गया तथा बकाया केन्द्र सरकार के प्रतिभूतियों में निवेश किया जावेगा। यह निर्णय 01 दिसम्बर 2011 से प्रभावशील हो गया है। राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से वर्ष 2016–17 में ऋण प्राप्त नहीं हुआ जबकि ₹ 420.53 करोड़ का वर्ष में पुनर्भुगतान किया गया तथा ₹ 614.82 करोड़ ब्याज का भुगतान किया गया। वर्ष के अंत में ₹ 5,761.73 करोड का शेष बकाया था जो कि 31 मार्च 2017 के राज्य शासन की कुल दायित्वों का 13.27 *प्रतिशत* था।

3. **भारत सरकार से कर्ज आदि** : 31 मार्च 2017 तक भारत सरकार से प्राप्त कर्जे, कुल दायित्वों का 4.71 *प्रतिशत* था। वर्ष 2016–17 के दौरान भारत सरकार से ₹ 381.53 करोड के कर्ज प्राप्त हुआ। 2016–17 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा ₹ 169.96 करोड के कर्ज का पुनर्भुगतान किया गया तथा ₹ 137.49 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।

4. **बाजार कर्ज** : वर्ष 2016–17 में 5.90 *प्रतिशत* छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2017 के ₹ 302.32 करोड़ के ऋण उन्मुक्त किए गए।

5. **स्वायत्त निकायों से कर्ज** : उधारों की इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न स्वायत निकायों जैसे :– भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड से प्राप्त किए गए कर्जे सम्मिलित हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य सरकार ने ऐसे निकायों से ₹ 898.40 करोड़ के कर्ज प्राप्त किए (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक–₹ 898.02 करोड एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम–₹ 0.38 करोड) और ₹ 259.82 करोड़ (सामान्य बीमा कंपनी–₹ 0.40 करोड़, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक–₹ 259.28 करोड एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम–₹ 0.14 करोड) पुनभुर्गतान किये गए। 31 मार्च 2017 के अंत में इस प्रकार के बकाया कर्जों का शेष ₹ 3,197.91 करोड़ था। विभिन्न स्वायत निकायों से प्राप्त कर्जों पर सरकार ने ₹ 185.21 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किया। कर्जों के पूर्ण जानकारी विवरण 17 और इसके अनुलग्नक में दिए गए हैं।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण–समाप्त

(ii) विवरण 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां–समाप्त

6. ऋण सेवाएं :

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज : बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्वों तथा ब्याज प्रभारो की निवल राशियां जिन्हे 2016–17 के दौरान राजस्व से पूर्ति किए गए है, नीचे दर्शाई गई हैं :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2016–17	2015–16	निवल वृद्धि (+)/ कमी (–)
(i) वर्ष के अंत में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व				
(क)	लोक ऋण और अल्प बचत भविष्य निधियॉ आदि	34,969.92	30,215.66	(+) 4,754.26
(ख)	अन्य दायित्वों	8,460.94	7,525.48	(+) 935.46
	योग–(i)	**43,430.86**	**37,741.14**[6]	**(+) 5,689.72**
(ii) सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज				
(क)	लोक ऋण और अल्प बचत भविष्य निधियॉ आदि पर	2,615.60	2,077.24	(+) 538.36
(ख)	अन्य दायित्वों पर	71.24	71.67	(–) 0.43
	योग–(ii)	**2,686.84**	**2,148.91**	**(+) 537.93**
(iii) घटायें –				
(क)	अन्य कर्जों और पेशगियों पर ब्याज	30.19	47.02	(–) 16.83
(ख)	रोकड शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज	126.78	50.35	(+) 76.43
	योग–(iii)	**156.97**	**97.37**	**(+) 59.60**
ब्याज प्रभारों की निवल राशि		**2,529.87**	**2,051.54**	**(+) 478.33**
1.	सकल ऋण से सकल ब्याज का *प्रतिशत*	6.19	5.68	(+) 0.51
2.	कुल राजस्व प्राप्तियों से सकल ब्याज का *प्रतिशत*[7]	5.00	4.66	(+) 0.34
3.	कुल राजस्व प्राप्तियों से निवल ब्याज का *प्रतिशत*	4.71	4.45	(+) 0.26

इसके अतिरिक्त ''विविध'' लेखा से (₹ 0.27 करोड[8]) ब्याज प्राप्त किये गये। यदि इन्हें घटाया जाता तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 2,529.60 करोड़ होता, जो कुल राजस्व का 4.71 *प्रतिशत* है।

वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न कम्पनियों/कार्पोरेशन में किये गये निवेश से ₹ 0.55 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया गया।

7. **ऋण में कमी करने या परिहार के लिए विनियोजन** : वर्ष 2016–17 के दौरान शासन द्वारा ऋण में कमी या परिहार हेतु ₹ 200.00 करोड का प्रावधान किया गया है।

---

[6] प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से 1 नम्बर 2000 के पूर्व के शेषों का प्रोफार्मा अन्तरण प्राप्त होने के कारण प्रारंभिक शेष में ₹ 1.85 करोड़ (जमा) वृद्धि की गई है एवं विभाग द्वारा पुनर्मिलान के बाद वर्ष 2000–01 से 2014–15 तक के व्यय की वास्तविक प्रतिपूर्ति के कारण राशि ₹ 77.30 करोड कमी की गयी। इस तरह राशि ₹ 75.45 करोड़ (निवल) की कमी हुई।

[7] वर्ष 2016–17 में कुल राजस्व प्राप्तियॉ ₹ 53,685.25 करोड़ है।

[8] यह राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के बचत खाता में जमा पर प्राप्त ब्याज (₹ 0.24 करोड़) एवं श्रमिक न्यायाधीश सह आयुक्त के जमा पर प्राप्त ब्याज (₹ 0.03 करोड) दर्शाता है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण

भाग 1 : कर्ज तथा उधार का सारांश ऋणी समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2016 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत राशि	वर्ष के दौरान वापस अदा की गई राशि	ऋणों तथा पेशगियों का अपलेखन किया गया	31 मार्च 2017 को बकाया शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)कमी (-) (6–2)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सांविधिक निगम	151.72[1]	44.24	18.01	0.00	177.95	26.23	0.00
सरकारी कम्पनियॉ	118.50[2]	0.00	0.62	0.00	117.88	(–)0.62	5.57
विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाएं	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
पंचायती राज संस्थाएं	16.07[3]	0.00	0.59	0.00	15.48	(–)0.59	0.00
नगर पालिकायें / नगर परिषद् / नगर निगम	310.12[4]	135.57	107.30	0.00	338.39	28.27	0.00
शहरी विकास प्राधिकरण	448.80	35.00	0.00	0.00	483.80	35.00	0.00
गृह निर्माण मंडल	4.58	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	0.00
सहकारी संस्थाएं / सहकारी निगम / बैंक	187.94[5]	55.40	42.85	0.00	200.49	12.55	12.22
अन्य	35.38[6]	2.50	2.51	0.00	35.37	(–) 0.01	0.03
शासकीय सेवक	(–) 0.06[7]	0.00	1.11	0.00	(–)1.17	(–)1.11	0.00
योग–ऋण तथा पेशगियॉ	**1,273.96**	**272.71**	**172.99**	**0.00**	**1,373.68**	**99.72**	**17.82**

1 पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि की गई।
2 पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि की गई।
3 पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।
4 पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।
5 ₹ 0.02 करोड़ (निवल) की वृद्धि की गई। वर्ष 2015–16 में ''अन्य ऋणी समूह'' से संबंधित वापसियों को सहकारी समितियॉ / बैंको के अंतर्गत त्रुटिवश दर्शाये जाने के कारण ₹ 0.03 करोड़ की वृद्धि की गई तथा पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड की कमी की गई।
6 ₹ 0.02 करोड़ (निवल) की कमी की गई। वर्ष 2015–16 में ''अन्य ऋणी समूह'' से संबंधित वापसियों को सहकारी समितियॉ / बैंको के अंतर्गत त्रुटिवश दर्शाये जाने के कारण ₹ 0.03 करोड़ की कमी की गई तथा पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड की वृद्धि की गई।
7 शासकीय कर्मचारियों को राज्य गठ्न के पूर्व किये ऋणों के प्रभाजन नहीं किया गया किन्तु इन ऋणों की वापसी होने के कारण 31.03.2016 को शासकीय कर्मचारियों को ऋण अवशेष ₹ 10.27 करोड़ (जमा) था। मई 2017 में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा ₹ 10.21 करोड़ को प्रोफार्मा आधार पर प्रभाजित किया गया। इस राशि ने ऋणात्मक शेष (जमा) को ₹ 0.06 करोड़ तक कम किया।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण–जारी
भाग 1 : कर्ज तथा उधार का सारांश ऋणी समूहवार–समाप्त

निम्नानुसार प्रकरणों में ''शाश्वस्त ऋण'' स्वीकृत किये गये है :–

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	ऋणी संस्था	अनुज्ञप्ति का वर्ष	अनुज्ञप्ति का आदेश क्रमांक	राशि	ब्याज का दर
इस प्रकार का प्रकरण निरंक है।					

भाग 2 : कर्ज तथा उधार का सारांश : प्रक्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

प्रक्षेत्र	1 अप्रैल 2016 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान ऋणों तथा पेशगियों को अपलेखित की गई राशि	31 मार्च 2017 को बकाया शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (–)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सामान्य सेवायें							
सरकारी कम्पनियॉ	1.71	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00
योग–सामान्य सेवाएं	**1.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.71**	**0.00**	**0.00**
सामाजिक सेवायें							
विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाएं	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
नगर निगम, नगर पालिकायें / नगर परिषद / नगर पंचायत	310.01[8]	135.57	107.30	0.00	338.28	28.27	0.00
शहरी विकास प्राधिकरण	448.80	35.00	0.00	0.00	483.80	35.00	0.00
गृह निर्माण मंडल	4.58	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	0.00
सांविधिक निगमों	4.89[9]	0.00	0.00	0.00	4.89	0.00	0.00
अन्य	5.16	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	0.00
योग–सामाजिक सेवायें	**774.35**	**170.57**	**107.30**	**0.00**	**837.62**	**63.27**	**0.00**
आर्थिक सेवायें							
पंचायती राज संस्थाएं	16.07[10]	0.00	0.59	0.00	15.48	(–)0.59	0.00
नगर निगम, नगर पालिकायें / नगर परिषद / नगर पंचायत	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
सांविधिक निगम	146.83	44.24	18.01	0.00	173.06	26.23	0.00

[8] पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।
[9] पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि की गई।
[10] पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण–जारी
भाग 2 : कर्ज तथा उधार का सारांश : प्रक्षेत्रवार–समाप्त

(₹ करोड़ में)

प्रक्षेत्र	1 अप्रैल 2016 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान ऋणों तथा पेशगियों को अपलेखित की गई राशि	31 मार्च 2017 को बकाया शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (–)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आर्थिक सेवायें–समाप्त							
सरकारी कम्पनियॉ	116.79[11]	0.00	0.62	0.00	116.17	(–)0.62	5.57
सहकारी समितियॉ / बैंक	187.94[12]	55.40	42.85	0.00	200.49	12.55	12.22
अन्य	30.22[13]	2.50	2.51	0.00	30.21	(–)0.01	0.03
योग–आर्थिक सेवायें	**497.96**	**102.14**	**64.58**	**0.00**	**535.52**	**37.56**	**17.82**
शासकीय कर्मचारियों को कर्जे तथा पेशगियॉ	(–) 0.06[14]	0.00	1.11	0.00	(–)1.17	(–)1.11	0.00
योग–शासकीय कर्मचारियों को कर्जे तथा पेशगियॉ	(–) **0.06**	**0.00**	**1.11**	**0.00**	(–)**1.17**	(–)**1.11**	**0.00**
योग	**1,273.96**	**272.71**	**172.99**	**0.00**	**1,373.68**	**99.72**	**17.82**

11 पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड की वृद्धि की गई।

12 ₹ 0.02 करोड़ (निवल) की वृद्धि की गई। वर्ष 2015–16 में ''अन्य ऋणी समूह'' से संबंधित वापसियो को सहकारी समितियॉ / बैंकों के अंतर्गत त्रुटिवश दर्शाये जाने के कारण ₹ 0.03 करोड़ की वृद्धि की गई तथा पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड की कमी की गई।

13 ₹ 0.02 करोड़ (निवल) की कमी की गई। वर्ष 2015–16 में ''अन्य ऋणी समूह'' से संबंधित वापसियो को सहकारी समितियॉ / बैंको के अंतर्गत त्रुटिवश दर्शाये जाने के कारण ₹ 0.03 करोड़ की कमी की गई तथा पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड की वृद्धि की गई।

14 शासकीय कर्मचारियों को राज्य गठ़न के पूर्व किये ऋणों के प्रभाजन नहीं किया गया किन्तु इन ऋणों की वापसी होने के कारण 31.03.2016 को शासकीय कर्मचारियों को ऋण अवशेष ₹ 10.27 करोड़ (जमा) था। मई 2017 में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा ₹ 10.21 करोड़ को प्रोफार्मा आधार पर प्रभाजित किया गया। इस राशि ने ऋणात्मक शेष (जमा) को ₹ 0.06 करोड़ तक कम किया।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण–जारी
भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जो का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2017 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2017 की स्थिति में संस्थाओं के विरूद्ध कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरकारी कम्पनियॉ					
छत्तीसगढ़ उद्योग विकास निगम	0.00	5.57	5.57	2005–06	0.00
सांविधिक निगम					
छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम	0.50	0.00	0.50[क]	2003–04	0.50
छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम	4.00	0.00	4.00	2010–11	4.00
सहकारी समितियॉ/बैंक/शक्कर कारखाना					
रायपुर दुग्ध संघ	1.30	जा.अ.[15]	1.30	2000–01 के पूर्व	1.30
भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना	0.00	3.87	3.87	2005–06	30.00
दन्तेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना	0.00	2.04	2.04	2010–11	56.32[16]
महामाया सहकारी शक्कर कारखाना	0.00	5.21	5.21	2009–10	50.67
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना–जगदलपुर	0.35	0.00	0.35	2002–03	0.32[17]
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना–जशपुर	0.44	0.00	0.44	2004–05	0.44
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना–रायगढ़	1.51	0.00	1.51	2002–03	1.42[18]
नागरिक सहकारी बैंक, भिलाई नगर	0.00	0.63	0.63	2007–08	0.00
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, डौड़ीलोहारा	0.01	0.01	0.02	2006–07	0.01
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, सारागांव	0.02	0.01	0.03	2007–08	0.02
थोक ग्राहक सहकारी समिति, जगदलपुर	0.02	0.01	0.03	2006–07	0.02
नया रायपुर विकास प्राधिकरण	438.00	ब्याज मुक्त	438.00	2011–12	438.00
छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास मण्डल	5.50	जा.अ.	5.50	2009–10	5.50
अन्य					
मेसर्स कंचन स्टोन, बरबसपुर, महासमुन्द	0.02	0.01	0.03	2016–17	0.02
मेसर्स एम.आई. पालीमर्स, उरला, रायपुर	0.00	0.02	0.02	जा.अ.	0.00
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज	0.03	जा.अ.	0.03	2000–01 के पूर्व	0.03
आवास के लिए कर्ज	4.58	जा.अ.	4.58	2000–01 के पूर्व	4.58
शहरी विकास के लिए कर्ज	18.65	0.00	18.65	2000–01 के पूर्व	358.58
	5.86	0.00	5.86	2000–01 के पश्चात	
अनुसूचित जातियॉ, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिए कर्ज	2.55	जा.अ.	2.55	2000–01 के पूर्व	2.55

क–यह राशि 'छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम' के लेखे में राज्य शासन के अंशपूंजी के रूप में दर्शाया गया है परन्तु राज्य शासन द्वारा स्वीकृति आदेश 'कर्ज तथा अग्रिम' (मुख्यशीर्ष 6225) के अन्तर्गत जारी किये गये है। ऋण को अंशपूंजी में परिवर्तन की कार्यवाही प्रगति पर है।

15 ''जा.अ.'' जानकारी उपलब्ध नहीं इंगित करता है।
16 शेष पुनर्मिलान के अधीन है।
17 शेष पुनर्मिलान के अधीन है।
18 शेष पुनर्मिलान के अधीन है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण–समाप्त
भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जो का सारांश–समाप्त

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2017 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2017 की स्थिति में संस्थाओं के विरूद्ध कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अन्य–समाप्त					
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज	1.23	जा.अ.	1.23	2000–01 के पूर्व	1.23
प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए कर्ज	0.83	जा.अ.	0.83	2000–01 के पूर्व	0.83
अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज	0.91	जा.अ.	0.91	2000–01 के पूर्व	0.91
फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज	16.95	जा.अ.	16.95	2000–01 के पूर्व	16.95
मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज	8.06	जा.अ.	8.06	2000–01 के पूर्व	8.06
पशु पालन के लिए कर्ज	0.26	जा.अ.	0.26	2000–01 के पूर्व	0.26
डेरी विकास के लिए कर्ज	0.01	जा.अ.	0.01	2000–01 के पूर्व	0.01
खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज	3.92	जा.अ.	3.92	2000–01 के पूर्व	216.81
सहकारिता के लिए कर्ज	17.57	0.44	18.01	2000–01 के पूर्व	27.82
अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिए कर्ज	0.03	जा.अ.	0.03	2000–01 के पूर्व	0.03
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कर्ज	0.58	जा.अ.	0.58	2000–01 के पूर्व	0.58
लघु सिंचाई के लिए कर्ज	0.12	जा.अ.	0.12	2000–01 के पूर्व	0.12
कमान क्षेत्र विकास के लिए कर्ज	0.05	जा.अ.	0.05	2000–01 के पूर्व	0.05
ग्राम तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज	1.80	जा.अ.	1.80	2000–01 के पूर्व	2.17
अलौह तथा धातु–कर्म उद्योग के लिए कर्ज	0.01	जा.अ.	0.01	2000–01 के पूर्व	0.01
उपभोक्ता उद्योग के लिए कर्ज	0.57	जा.अ.	0.57	2000–01 के पूर्व	0.57
उद्योग तथा खनिज पर अन्य कर्जे	6.43	जा.अ.	6.43	2000–01 के पूर्व	6.43
योग	**542.67**	**17.82**	**560.49**		**1,237.12**

नोट : वर्ष 2000–01 से पूर्व अवधि के बकाया कर्जे छत्तीसगढ़ राज्य को प्रभाजित किए गए है। वर्ष 2000–01 से इन ऋणों के पुनर्भुगतान नहीं होने के कारण बकाया होना दर्शाया गया है।

8. वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के अंशपूंजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार

(₹ करोड़ में)

प्रतिष्ठान का नाम	2016–17			2015–16		
	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश
सांविधिक निगम	2[1]	35.90	0.00	6	33.50	0.00
सरकारी कम्पनियॉ	13[2]	6,459.45	0.00	16	5,969.44	4.43
संयुक्त स्टॉक कम्पनियॉ	4	57.60[3]	0.00	1	2.60	0.00
ग्रामीण बैंक	1	24.31	0.00	1	24.31	0.00
सहकारी संस्थाएं तथा स्थानीय निकाय	1,523[4]	201.34	0.55	1,462	162.37	1.30
योग	**1,543**	**6,778.60**	**0.55**	**1,486**	**6,192.22**	**5.73**

[1] राज्य सरकार के निवेश की कुल राशि ₹ 33.00 करोड़ त्रुटिवश अग्रलिखित पांच विभिन्न निगमों ‘छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी सहकारी एवं वित्त विकास निगम’ (₹ 26.98 करोड़), ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली’ (₹ 2.71 करोड़), ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाति निगम’ (₹ 0.28 करोड़), ‘राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम’ (₹ 2.07 करोड़ एवं ‘छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम’(₹ 0.96 करोड़) में दर्शाया गया था, चूंकि राज्य शासन के निवेश की कुल राशि ₹ 33.00 करोड़ ‘छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी सहकारी एवं वित्त विकास निगम’ में अंशपूंजी के लिए है। अतः निगमों की संख्या वर्ष 2015–16 में 6 से घटकर वर्ष 2016–17 में 2 हो गई है।

[2] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल हस्तातरण योजना नियम 2010 के अनुसार राज्य शासन के कुल निवेश ₹ 5,926.05 करोड़ को वित्त लेखे 2015–16 में जिसे अग्रलिखित कम्पनियों में प्रस्तुत किया गया था –‘छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कंपनी’ (₹ 4,300.05 करोड़), ‘छत्तीसगढ़ राज्य पावर उत्पादन कंपनी’ (₹ 1,076.00 करोड़), ‘छत्तीसगढ़ राज्य पावर पारेषण कंपनी’(₹ 150.00 करोड़) एवं ‘छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कंपनी (₹ 400.00 करोड़) को अब एकजायी कर छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी मर्यादित में प्रदर्शित किया गया है क्योंकि यह कंपनी राज्य सरकार की निवेश कंपनी है। परिणामतः वर्ष 2015–16 में कंपनियों की संख्या 16 से घटकर वर्ष 2016–17 में 13 हो गई।

[3] संयुक्त उपक्रम कम्पनियों (छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे मर्यादित) के अंशपूंजी में निवेशित ₹ 51.00 करोड़ एवं छत्तीसगढ़ रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के अंशपूंजी में निवेशित ₹ 4.00 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

[4] 917 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियॉ, 469 आदिम सहकारी सेवा सहकारी समितियॉ, 26 सेवा सहकारी समितियॉ, 13 छत्तीसगढ़ कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 4 सहकारी शक्कर कारखाना, 7 जिला सहकारी बैंक, 59 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियॉ, 6 बुनकर समितियॉ, 5 मछली पालन सहकारी समितियॉ, 9 ग्राहक स्टोअर्स, 5 श्रमिक सहकारी, 3 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना सम्मिलित है।

9. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों[1] का विवरण

वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंम्पानियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों आदि को चुकाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियॉ तथा 31 मार्च 2017 को विभिन्न प्रक्षेत्रों में बकाया प्रत्याभूती की राशि निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

क्षेत्रवार प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्टक में)	31 मार्च 2017 की स्थिति में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	वर्ष 2016–17 के प्रारम्भ में बकाया राशि (01.04.16)	वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति	निरस्त की गई प्रत्याभूति (प्रत्याभूति के भुगतान की जाने के अलावा)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूति के विरूद्ध भुगतान		2017 के अन्त में बकाया राशि (31.03.17)	प्रत्याभूति कमीशन अथवा फीस		अन्य विवरण
					उन्मोचित	अनुन्मोचित	मूलधन	प्राप्य	प्राप्त	
ऊर्जा (12)	5,384.30	827.46	2,955.00	1,042.87	0.00	0.00	2,739.59	0.00	0.00	निरंक
सहकारिता समिति (14)	6,718.81[2]	1,000.15	1,101.00	1,007.10	0.00	0.00	1,094.05	9.40	4.40	निरंक
राज्य वित्त तथा विकास निगम (56)	275.36[3]	87.64	35.33	41.05	0.00	0.00	81.92	0.00	0.00	निरंक
शहरी विकास तथा आवास (89)	258.90[4]	69.23	0.00	5.58	0.00	0.00	63.65	0.01	0.00	निरंक
अन्य (2)	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76	0.00	0.00	निरंक
योग	**12,641.13**	**1,988.24**	**4,091.33**	**2,096.60**	**0.00**	**0.00**	**3,982.97**	**9.41**	**4.40**	**निरंक**

[1] संस्थावार प्रतिभूतियों का वर्णन विवरण क्रमांक 20 का खण्ड–II में दर्शाया है।

[2] वित्तीय संस्थाओं से निरंक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण ₹ 6,302.60 करोड़ की प्रत्याभूति विलोपित किया गया है।

[3] वित्तीय संस्थाओं से निरंक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण ₹ 31.04 करोड़ की प्रत्याभूति विलोपित किया गया है एवं पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि की गई।

[4] कुल ₹ 0.02 करोड़ वृद्धि की गई। वर्ष 1982–83 से संबंधित ₹ 0.01 करोड़ के प्रत्याभूति सम्मिलित की गई तथा ₹ 0.01 करोड दर्शाये जाने में सुधार हेतु वृद्धि हुई।

10. सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण

(i) नकद भुगतान की गई सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

ग्रांटी का वर्ग/नाम		वर्ष 2016–17 में सहायता अनुदान के रूप में कुल विमुक्त राशि			कालम क्रमांक (2) की कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु प्रदत्त राशि		
(1)		(2)			(3)		
		आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्र आयोजना सम्मिलित)	आयोज–नेत्तर	योग	आयोजना	आयोज–नेत्तर	योग
1.	**पंचायती राज संस्थायें**	**6,255.53**	**2,644.01**	**8,899.54**	**220.78**	**0.00**	**220.78**
	(i) जिला पंचायत	4,154.22	216.66	4,370.88	0.00	0.00	0.00
	(ii) जनपद पंचायत	1,658.00	680.98	2,338.98	0.00	0.00	0.00
	(iii) ग्राम पंचायत	443.31	1,746.37	2,189.68	220.78	0.00	220.78
2.	**शहरी स्थानीय निकाय**	**1,573.15**	**1,661.30**	**3,234.45**	**292.69**	**0.00**	**292.69**
	(i) नगर निगम	1,031.58	990.08	2,021.66	181.89	0.00	181.89
	(ii) नगर पालिकाएं/ नगर पालिका परिषद	304.84	381.53	686.37	66.47	0.00	66.47
	(iii) नगर पंचायत	236.73	289.69	526.42	44.33	0.00	44.33
3.	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**	**730.56**	**69.40**	**799.96**	**399.88**	**0.00**	**399.88**
	(i) शासकीय कम्पनियॉ	703.79	65.90	769.69	399.88	0.00	399.88
	(ii) सांविधिक निगम	26.77	3.50	30.27	0.00	0.00	0.00
4.	**स्वशासी निकाय**	**428.06**	**195.44**	**623.50**	**197.89**	**0.00**	**197.89**
	(i) विश्व विद्यालय	94.35	124.55	218.90	18.01	0.00	18.01
	(ii) विकास प्राधिकरण	232.27	30.00	262.27	179.88	0.00	179.88
	(iii) सहकारी संस्थाएं	84.91	40.89	125.80	0.00	0.00	0.00
	(iv) अन्य	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
5.	**अशासकीय संगठन**	**0.41**	**0.00**	**0.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.	**अन्य (सरल क्रमांक 1 से 5 के अतिरिक्त)**	**6,177.83**	**736.90**	**6,914.73**[1]	**376.13**	**0.02**	**376.15**
योग		**15,165.54**	**5,307.05**	**20,472.59**[2]	**1,487.37**	**0.02**	**1,487.39**[3]

[1] सहकारी समितियों से भिन्न समितियों को दिये गये सहायता अनुदान (₹ 4,390.81 करोड), वैयक्तिक अनुदान (₹ 596.20 करोड), अभिकरणों (₹ 493.08 करोड), मिशन (₹ 427.60 करोड़), शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों (₹ 176.83) करोड एवं अन्य (₹ 830.21 करोड) सम्मिलित है।

[2] उद्देश्य शीर्ष 14–सहायता अनुदान (₹ 19,039.65 करोड़) एवं उद्देश्य शीर्ष 45–पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण हेतु सहायता अनुदान (₹ 1,432.94 करोड़) के अन्तर्गत दर्ज व्यय सम्मिलित किये गये है।

[3] राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत, उद्देश्य शीर्ष 14–004 अधोसंरचना अनुदान में दर्ज व्यय (₹ 8.51 करोड) तथा पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत उद्देश्य शीर्ष 45–पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण में दर्ज व्यय (₹1,432.94 करोड), उद्देश्य शीर्ष 14–002 विकास अनुदान (₹ 43.58 करोड) एवं उद्देश्य शीर्ष 14–012 अन्य अनुदान (₹ 2.36 करोड़) सम्मिलित है।

10. सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण–समाप्त

(ii) वस्तुओं के रूप में प्रदत सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

ग्रांटी का वर्ग / नाम		वर्ष 2015–16 में वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूंजीगत सम्पत्ति की प्रकृति में प्रदत्त सहायता अनुदान का मूल्य
(1)		(2)	(3)
1.	पंचायती राज संस्थायें	**0.00**	**0.00**
2.	शहरी स्थानीय निकाय	**0.00**	**0.00**
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**0.00**	**0.00**
4.	स्वशासी निकाय	**0.00**	**0.00**
5.	अशासकीय संगठन	**0.00**	**0.00**
6.	अन्य :		
	मु.शी. 2202–5551 हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	106.17	0.00
	मु.शी. 2202–5904 निःशुल्क शालेय पुस्तको का प्रदाय	93.57	0.00
	मु.शी. 2202–9805 अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों एवं स्टेशनरी का वितरण	0.70	0.00
	मु.शी. 2801–7305 पॉच एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	259.48	0.00
	मु.शी. 3275–8913 तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को निःशुल्क लेपटॉप / टेबलेट का प्रदाय	5.54	0.00
योग		**465.46**	**0.00**

11. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वास्तविक					
	2016–17			2015–16		
	प्रभारित	दत्तमत	योग	प्रभारित	दत्तमत	योग
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	*3,300.88*	44,863.72	48,164.60	*2,795.95*	40,905.11	43,701.06
व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	*21.04*	9,449.47	9,470.51	*11.63*	7,933.38	7,945.01
लोक ऋण, कर्जे तथा पेशगियां, अन्तर्राज्यीय परिशोधन के अन्तर्गत भुगतान तथा आकस्मिकता निधि को अन्तरण (क)	*1,152.63*	333.15	1,485.78	*1,250.18*	165.22	1,415.40
योग	***4,474.55***	**54,646.34**	**59,120.89**	***4,057.76***	**49,003.71**	**53,061.47**
(क) ये आंकड़े निम्नवत निकाले गए है :						
ड.–लोक ऋण –						
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	*982.67*	0.00	982.67	*1,086.11*	0.00	1,086.11
केन्द्र सरकार से कर्जे तथा पेशगियां	*169.96*	0.00	169.96	*164.07*	0.00	164.07
च– कर्जे तथा उधार *						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे	0.00	170.57	170.57	0.00	44.40	44.40
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे	0.00	102.14	102.14	0.00	119.33	119.33
सरकारी कर्मचारियों को कजे, आदि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छ– अन्तर्राज्यीय परिशोधन						
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.44	0.44	0.00	0.49	0.49
झ–आकस्मिकता निधि को अन्तरण						
आकस्मिकता निधि को अन्तरण	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
योग	***1,152.63***	**333.15**	**1,485.78**	***1,250.18***	**165.22**	**1,415.40**

*** विस्तृत लेखा विवरण क्रमांक 18–''सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण'' पृष्ठ क्रमांक 317 से 349 में दिया गया है। वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान प्रभारित तथा दत्तमत व्यय के कुल व्यय का *प्रतिशत* निम्नानुसार था :**

वर्ष	कुल व्यय का *प्रतिशत*	
	प्रभारित	दत्तमत
2015–16	*7.65*	92.35
2016–17	*7.57*	92.43

12. वर्ष 2016–17 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2016 को	वर्ष 2016–17 के दौरान	31 मार्च 2017 को
पूंजीगत और अन्य व्यय			
पूंजीगत व्यय (उप–क्षेत्रवार)			
अन्य सामान्य सेवाएं	155.59	28.74	184.33
लोक निर्माण	1,427.87	158.80	1,586.67
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	2,658.80	516.95	3,175.75
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1,632.96	325.00	1,957.96
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	3,670.90	1,097.03	4,767.93
सूचना तथा प्रसारण	0.77	0.02	0.79
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,080.84	366.88	2,447.72
समाज कल्याण तथा पोषण	523.64	77.07	600.71
अन्य समाज सेवाएं	238.35	77.67	316.02
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	854.69	92.01	944.33[1]
ग्राम विकास	2,531.38	366.70	2,898.08
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	15,994.24	1,888.14	17,882.38
ऊर्जा	6,113.55	907.46	7,021.01[2]
उद्योग तथा खनिज	896.73	586.39[3]	1,483.12
परिवहन	15,370.25	3,530.46[4]	18,900.71
अन्य संचार सेवाएं	0.00	7.18	7.18
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	8.61	0.30	8.91
सामान्य आर्थिक सेवाएं	107.97	26.61	134.58
योग–पूंजीगत व्यय	**54,267.14**	**10,053.41**	**64,318.18**[5]

[1] सहकारी समितियों एवं बैकों की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 2.37 करोड़ अंतशेष में कमी की गई।

[2] प्रधान महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रभाजित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के ₹ 23.12 करोड़ का अंशपूंजी सम्मिलित है।

[3] यह सकल आंकड़े है। मुख्यशीर्ष 4853 के अन्तर्गत दर्ज व्यय ₹ 475.33 करोड़ को खनिज विकास निधि (8449–200) को अंतरित किया गया है।

[4] यह सकल आंकड़े है। मुख्यशीर्ष 5054 के अन्तर्गत दर्ज व्यय ₹ 107.57 करोड़ को खनिज विकास निधि (8449–103) को अंतरित किया गया है।

[5] सहकारी समितियों एवं बैकों की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 2.37 करोड़ अंतशेष में कमी की गई।

12. वर्ष 2016–17 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2016 को	वर्ष 2016–17 के दौरान	31 मार्च 2017 को
पूंजीगत और अन्य व्यय–समाप्त			
ऋण एवं अग्रिम			
सामान्य सेवाएं			
विविध सामान्य सेवाएं	1.71	0.00	1.71
सामाजिक सेवाएं			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	4.90	0.00	4.90
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	0.03	0.00	0.03
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	763.39	63.27	826.66
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3.06	0.00	3.06
समाज कल्याण तथा पोषण	2.06	0.00	2.06
अन्य सामाजिक सेवाएं	0.91	0.00	0.91
आर्थिक सेवाएं			
कृषि तथा संबद्ध कियाकलाप	372.24	38.21	410.45
ग्राम विकास	0.58	0.00	0.58
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	0.17	0.00	0.17
उर्जा	108.71	0.00	108.71
उद्योग तथा खनिज	10.76	(–) 0.65[क]	10.11
सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.50	0.00	5.50
शासकीय कर्मचारियों को ऋण	(–) 0.06[6]	(–) 1.11	(–) 1.17
योग–ऋण एवं अग्रिम	**1,273.96[7]**	**99.72**	**1,373.68**
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.06	0.00
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	**0.00**	**60.00**	**0.00**
योग–पूंजीगत और अन्य व्यय	**55,541.10[8]**	**10,213.19**	**65,691.86[9]**
घटांए–आकस्मिकता निधि से अंशदान	0.00	0.00	0.00
घटांए–विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंशदान	53.46	2.37	55.83
घटांए–छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम से अंशदान	407.80	475.33	883.13
घटांए–केन्द्रीय सड़क निधि से अंशदान	35.66	107.57	143.23
घटांए–आकस्मिकता निधि को स्थानांतरण	0.00	60.00	0.00
निवल पूंजीगत और अन्य व्यय	**55,044.18**	**9,567.92**	**64,609.67[10]**

क ऋणात्मक आंकड़े मुख्यशीर्ष 6851 के अन्तर्गत बुनकर सहकारी समितियॉ (₹ 0.03 करोड़) एवं मुख्यशीर्ष 6852 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि कंपनी मर्यादित (₹ 0.62 करोड़) के ऋणों की वापसी के कारण।

---

[6] शासकीय कर्मचारियों को राज्य गठ़न के पूर्व किये ऋणों के प्रभाजन नहीं किया गया किन्तु इन ऋणों की वापसी होने के कारण 31.03.2016 को शासकीय कर्मचारियों को ऋण अवशेष ₹ 10.27 करोड़ (जमा) था। मई 2017 में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा ₹ 10.21 करोड़ को प्रोफार्मा आधार पर प्रभाजित किया गया। इस राशि ने ऋणात्मक शेष (जमा) को ₹ 0.06 करोड़ तक कम किया।

[7] कृपया पाद टीप कमांक 5 देखें।

[8] कृपया पाद टीप कमांक 5 देखें।

[9] अंतशेष में ₹ 62.43 करोड़ की कमी की गई। सहकारी समितियों एवं बैकों की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 2.37 करोड़, अन्तर्राजीय परिशोधन (₹ 0.06 करोड़) एवं आकस्मिकता निधि को विनियोजन (₹ 60.00 करोड) शीर्ष लेखे में बंद के कारण कमी की गई।

[10] अंतशेष में ₹ 2.43 करोड़ की कमी की गई। सहकारी समितियों एवं बैकों की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 2.37 करोड़, अन्तर्राजीय परिशोधन शीर्ष लेखे में बंद के कारण ₹ 0.06 करोड कमी की गई।

12. वर्ष 2016–17 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2016 को	वर्ष 2016–17 के दौरान	31 मार्च 2017 को
निधियों का मुख्य स्त्रोत			
वर्ष 2016–17 के लिए राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (–)	0.00	(+) 5,520.65	0.00
(i) जोड़े–पूंजी निवृत्ति/विनिवेश का समायोजन	**(–) 53.46**	**0.00**	**(–) 55.83**[(ख)]
(ii) ऋण–			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	24,214.56	4,115.73	28,330.29
केन्द्र सरकार से कर्जे तथा पेशगियॉ	1,835.59	211.57	2,047.16
अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि,	4,165.51[11]	426.96	4,592.47
योग (ii)–ऋण	**30,215.66**[12]	**4,754.26**	**34,969.92**
(iii) अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि	40.00	60.00	100.00
जमा एवं अग्रिम	5,565.36	550.68	6,116.04
उचंत एवं विविध (शासकीय लेखे तथा रोकड़ शेष निवेश लेखे को बन्द अतिरिक्त राशि)	128.91	25.84	154.75
आरक्षित निधियॉ	3,501.81[13]	639.80	4,141.61
प्रेषण	(–) 356.72	49.14	(–) 307.58
योग–(iii)–अन्य दायित्व	**8,879.36**[14]	**1,325.46**	**10,204.82**
योग–(ii)+(iii) ऋण एवं अन्य दायित्व	**39,095.02**	**6,079.72**	**45,174.74**
(iv) *घटाएं–रोकड़ शेष*	(–) 577.94	917.12	339.18
(v) *घटाएं–निवेश*	3,399.80	910.83[15]	4,310.63[16]
(vi) घटाएं– आकस्मिकता निधि को विनियोजन	..	60.00	..
(vii) जोडे– वर्ष 2016–17 के दौरान बट्टे खाता में डाली गई राशि	..	(–) 144.50[17]	..
योग–(i)+(ii)+(iii)–(iv)–(v)+(vi) निधियों का निवल प्रावधान	**36,219.70**[18]	**4,047.27**	**40,469.10**[क]

[11] प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से प्रोफार्मा अन्तरण के माध्यम से 1 नवम्बर 2000 के पूर्व के ₹ 1.85 करोड़ की प्राप्ति के कारण प्रारंभिक शेष में वृद्धि की गई।

[12] कृपया पाद टीप कमांक 10 देखें।

[13] वर्ष 2000–01 से 2014–15 के अवधि में राज्य आपदा मोचन निधि के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के कारण ₹ 77.30 करोड की प्रोफार्मा कमी की गई।

[14] कृपया पाद टीप कमांक 12 देखें।

[15] संयुक्त उपक्रम कम्पनियों (छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे मर्यादित, छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ रेलवे कारपोरेशन मर्यादित) के अंशपूंजी में निवेशित ₹ 55.00 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

[16] रोकड़ शेष निवेश की राशि ₹ 2,512.00 करोड़ एवं उदिष्ट निधियों के निवेश की राशि ₹ 1,798.63 करोड़ सम्मिलित है।

[17] लोक लेखे के विभिन्न मुख्यशीर्षो के अन्तर्गत जमा शेष ₹ 104.07 करोड़ तथा नामे शेष ₹ 248.57 करोड़ के अपलेखन के कारण ऋणात्मक राशि दशाई गई है। मुख्यशीर्ष वार विवरण कमांक 21 के पृष्ठ कमांक 378 में प्रदर्शित है।

[18] प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से 1 नम्बर 2000 के पूर्व के शेषों का प्रोफार्मा अन्तरण प्राप्त होने के कारण प्रारंभिक शेष में ₹ 1.85 करोड़ (जमा) वृद्धि की गई है एवं विभाग द्वारा पुनर्मिलान के बाद वर्ष 2000–01 से 2014–15 तक के व्यय की वास्तविक प्रतिपूर्ति के कारण राशि ₹ 77.30 करोड कमी की गयी। इस तरह राशि ₹ 75.45 करोड़ (निवल) की कमी हुई।

(ख) सहकारी समितियों एवं बैकों की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 2.37 करोड की राशि विवरण को तुल्य करने के लिए सम्मिलित की गई है।

12. वर्ष 2016–17 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण–जारी

(क) ₹ 2.37 करोड़ की पूंजी निवृत्ति के समायोजन, ₹ 144.50 करोड़ बट्टे खाता में डाले जाने एवं आकस्मिकता निधि को विनियोजन में 60.00 करोड को अंतशेष में सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण (सरकारी लेखों में यह शीर्ष बंद होने के कारण) ₹ 40,266.97 करोड (₹ 36,219.70 करोड़ (+) ₹ 4,047.27 करोड़) से ₹ 202.13 करोड़ का अन्तर है। 31 मार्च 2017 तक निवल पूंजीगत और अन्य व्यय (₹ 64,609.67 करोड़) तथा निधियों का निवल प्रावधान (₹ 40,469.10 करोड़) के मध्य ₹ 24,140.57 करोड़ का अन्तर है, जिसे निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है :–

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि
1.	वर्ष 2000–01 से 2016–17 तक संचयी राजस्व आधिक्य	23,638.73
2.	सामान्य भविष्य निधि शेष इत्यादि से संबंधित वर्ष 2000–01 से 2016–17 तक मध्य प्रदेश से प्रोफार्मा स्थानान्तरण का निवल प्रभाव	(–) 3,910.90
3.	जोडे–वर्ष 2011–12 के दौरान शीर्ष 8229–200 में पंचायत, भू राजस्व अधिभार तथा स्टाम्प डयूटी निधि में वर्ष 2006–07 से 2010–11 के मध्य किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण प्रोफार्मा कमी।	118.00
4.	जोडे–वर्ष 2012–13 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अंशपूंजी के प्रोफार्मा स्थानांतरण के कारण पूंजीगत व्यय के ''कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप'' उप क्षेत्र में प्रोफार्मा वृद्धि।	6.55
5.	जोडे–वर्ष 2013–14 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य वन उत्पाद संघ के ऋणों के प्रोफार्मा स्थानांतरण के कारण ऋण के ''कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप'' उप क्षेत्र में प्रोफार्मा वृद्धि।	0.06
6.	घटाएं–वर्ष 2012–13 के दौरान पूंजीगत व्यय के उप क्षेत्र ''ऊर्जा'' में प्रोफार्मा कमी। त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण।	0.03
7.	जोडे–वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के पूंजीगत व्यय में प्रोफार्मा वृद्धि	
	मुख्य शीर्ष 4055–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के ऋणों को पूंजीगत व्यय में समायोजन।	10.57
	मुख्य शीर्ष 4055–छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन में राज्य सरकार द्वारा अनुदान को अंशपूंजी निवेश में समायोजन।	2.00
	मुख्य शीर्ष 4801–छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड़ द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट्स के राज्य शासन के अंशपूंजी में समायोजन।	4,300.05
	मुख्य शीर्ष 5054–प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा अविभाजित अवधि से संबंधित व्यय के स्थानांतरण के कारण।	12.83
8.	घटाएं–वर्ष 2015–16 के दौरान ''ऋण एवं अग्रिम'' के उप क्षेत्र में निम्नलिखित मुख्य शीर्ष में प्रोफार्मा कमी	
	मुख्य शीर्ष 6216–ऋणों को अनुदान में रूपान्तरण	10.57
	मुख्य शीर्ष 6425–ऋणों को अनुदान में रूपान्तरण	10.51
	मुख्य शीर्ष 6852–ऋणों को अनुदान में रूपान्तरण	22.96
9.	जोडे–वर्ष 2012–13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के उप क्षेत्र ''ऊर्जा'' में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा वृद्धि।	0.03
10.	घटाएं–वर्ष 2012–13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के ''शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति'' उप क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी।	4.00

12. वर्ष 2016–17 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण–समाप्त

(₹ करोड़ में)

सरल कमांक	विवरण	राशि
11.	जोडे–वर्ष 2016–17 के दौरान मुख्य शीर्ष 7610 के अन्तर्गत प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रोफार्मा अन्तरण।	10.21
12.	घटाएं–वर्ष 2008–09 तक आकस्मिकता निधि का मुख्य निधियों के अनुप्रयोग के अन्तर्गत त्रुटीपूर्ण दर्शाया जाना।	40.00
13.	घटायें–वर्ष 2016–17 तक शासकीय लेखे को बंद राशि।	151.55
14.	घटायें–वर्ष 2000–01 से 2016–17 तक प्रगामी अन्तर्राज्यीय समाशोधन।	26.58
15.	घटायें–त्र–आरक्षित निधि के अन्तर्गत राज्य आपदा उन्मोचन निधि से संबंधित व्यय के प्रतिपूर्ति प्रोफार्मा कमी के कारण।	(–) 278.65
16.	घटायें–ट–जमा तथा अग्रिम अन्तर्गत पूर्णांक में सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी।	0.01
17.	घटायें–आकस्मिकता निधि को विनियोजन।	60.00
	योग	**24,140.57**

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश

क – 31 मार्च 2017 को शेष का सारांश निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

नामे शेष	सामान्य लेखे का क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा शेष
		समेकित निधि	
39,151.25	क से घ और ठ का भाग (मु.शीर्ष 8680 केवल)	सरकारी लेखे	..
	ड.	लोक ऋण	30,377.45
1,373.68	च	कर्जे और पेशगियां	..
		आकस्मिकता निधि	
..	छ	आकस्मिकता निधि	100.00
		लोक लेखा	
..	झ	अल्प बचतें, भविष्य निधियॉ इत्यादि	4,592.47
		आरक्षित निधियॉ	
..	ञ	(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियॉ	693.20
..		(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधिया	3,448.41
		सकल शेष	**4,141.61**
1,798.63		**निवेश**	
	ट	**जमा और पेशगियॉ**	
..		(i) ब्याज वाली जमा	70.71
..		(ii) बिना ब्याज वाली जमा	6,047.25
1.92		(iii) पेशगियां	..
	ठ	**उचन्त और विविध**	
2,512.00		निवेश	..
..		अन्य मदे	154.75
307.58	ड	**प्रेषण**	..
339.18	ढ	**रोकड़ शेष**	..
45,484.24	**योग**		**45,484.24**

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश–जारी

मार्च 2017 के लेखा समाप्ति के उपरांत लेखे में दर्शाए गए तथा रोकड़ शेष में प्रदर्शित ''रिजर्व बैंक के पास जमा ₹ 339.18 करोड़ (नामे) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गए शेष ₹ 396.43 करोड़ (जमा) के मध्य ₹ 57.25 करोड़ (जमा) का अंतर है। अन्तर समाधानाधीन है।

ख **सरकारी लेखा** – सरकारी लेखाओं में बही खाता रखने के सिद्धान्त के अनुपालन में राजस्व, पूंजीगत शीर्षो और सरकार के अन्य लेन–देनों के अन्तर्गत अंकित की गई राशियां जिनके शेष वर्षानुवर्ष लेखाओं में आगे नही ले जाए जाते, उन्हे एक शीर्ष में बंद किए जाते हैं जिसे ''सरकारी लेखा'' कहा जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत जो शेष होता है वह सभी लेन–देनों का संचयी परिणाम को प्रदर्शित करता है।

इस शेष में लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम, अल्प बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा और पेशगियां, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखे के अतिरिक्त), प्रेषण और आकस्मिकता निधि इत्यादि के शेषों को जोड़ा जाता है तथा वर्ष के अन्त में अंतिम रोकड़ शेष निकाला और सिद्ध किया गया है।

इस सारांश के अन्य शीर्षकों में सरकारी बहियों के उन समस्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत आनेवाली शेष राशियों का परिकलन किया जाता है जिनके सम्बन्ध में प्राप्त धन को वापस करने की देयता या दी गई राशि को वसूल करने का अधिकार सरकार का होता है तथा साथ ही प्रेषण लेन देनों के समायोजन के लिए बहियों में खोले गए लेखा शीर्ष भी सम्मिलित हैं।

यह समझ लेना चाहिये कि इन शेष राशियों को सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा लेखा जोखा नही माना जा सकता क्योंकि इसके हिसाब से न तो राज्य की समस्त भौतिक परिसंपत्तिया जैसे भूमि, भवन, संचार के साधन आदि सम्मिलित होते है और न ही उपार्जित देय राशियां या बकाया देयताये जिन्हे सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही नगद आधार की लेखाविधि के कारण हिसाब में सम्मिलित नही किया जाता।

वर्ष के अंत में शासकीय लेखे के डेबिट में निवल राशि निम्नानुसार संगणित की गई है :

(₹ करोड़ में)

नामे	विवरण		जमा
34,999.20	क	1 अप्रैल 2016 को सरकारी लेखे का नामे शेष	
0.00	ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	53,685.25
0.00	ग	प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	2.37
48,164.60	घ	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	0.00
9,470.51	ड.	व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	0.00
248.57	च	उचंत तथा विविध (विविध शासकीय लेखा)	104.07
0.44	छ	अन्तराज्यीय परिशोधन	0.38
60.00	ज	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	0.00
0.00	झ	31 मार्च 2017 को शासकीय लेखे में नामे राशि	39,151.25
92,943.32	**योग**		**92,943.32**

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश–समाप्त

1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक शेष ₹ 34,999.20 करोड़ (नामे) पूर्व वर्ष के अंत शेष ₹ 35,084.86 करोड़ (जमा) से ₹ 85.66 करोड़ (जमा) के प्रोफार्मा समायोजन/सुधार के फलस्वरूप कमी की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ मे)

शीर्ष जिसके 1 अप्रैल 2016 के प्रारम्भिक शेष में परिवर्तन किया गया		जमा शेष वृद्धि (+)/कमी (–)	नामे शेष वृद्धि (+)/कमी (–)
झ–अल्प बचत भविष्य निधि, इत्यादी			
8009–	**राज्य भविष्य निधि**		
01–	***सिविल***		
101–	सामान्य भविष्य निधि	(+) 1.85	..
ञ	**आरक्षित निधि**		
8121	**सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉ**		
122	राज्य आपदा उन्मोचन निधि	(–) 77.30	..
क–ऋण एवं अग्रिम			
7610	**सरकारी कर्मचारियों को कर्ज**		
201	भवन निर्माण अग्रिम	..	4.74
202	मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम	..	5.28
204	कम्प्यूटर का क्रय के लिये अग्रिम	..	0.10
800	अन्य अग्रिम	..	0.09
कुल–7610–सरकारी कर्मचारियों को कर्ज		..	**(+) 10.21**
क–ऋण एवं अग्रिम		..	**(+) 10.21**
योग		**(–) 75.45**	**(+) 10.21**
निवल		**(–) 85.66**	

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं

1. <u>विशिष्ट लेखाकरण पद्धति का सारांश</u> –

(i) विद्यमानता एवं लेखाकरण अवधि :

यह लेखा छत्तीसगढ़ शासन के 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक के संव्यवहारों को प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ शासन के प्राप्ति एवं व्यय लेखों को राज्य के 28 कोषालयों, 53 लोक निर्माण संभागों, 62 सिंचाई संभागों, 53 वन संभागों, 36 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों, 29 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों, 33 ग्रामीण विकास संभागों, 04 सड़क विकास संभागों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक लेखे तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त समायोजन सूचनाओं से संकलित किया गया है। कोषालयों एवं संभागो से लेखाओं का प्रेषण संतोषप्रद था एवं वर्षान्त सभी लेखे सम्मिलित किए गए हैं।

(ii) लेखाकरण का आधार :

यह लेखे कतिपय पुस्तकीय समायोजनों **(अनुलग्नक–क)**,''निरंक भुगतान'' प्रमाणकों, एवं ''स्त्रोत पर'' कटौत्रे जैसे सामान्य भविष्य निधि, गृह निर्माण अग्रिम आदि, को छोडकर लेखे लेखा अवधि में वास्तविक रोकड़ प्राप्ति एवं संवितरण को प्रदर्शित करते है। भौतिक तथा वित्तीय संपत्ति जैसे शासकीय निवेश का मूल्य ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है अर्थात अधिग्रहण/क्रय वर्ष के मूल्य पर। भौतिक सम्पत्ति का मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं होता है। भौतिक सम्पतियों के जीवनकाल में हुई क्षतियों को समाप्त या मान्य नहीं किया जाता है। लेखाकरण अवधि में भुगतान किए गए सेवानिवृत्ति लाभों को लेखाओं में दर्शाया जाता हैं, किन्तु सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्वों जैसे कि अपने कर्मचारियों के वर्तमान तथा पूर्व सेवाओं के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ को लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

(iii) मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते है :

राज्य सरकार के लेखे भारतीय रूपए में संधारित किए जाते हैं।

(iv) लेखाओं का प्रारूप :

संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे को ऐसे प्रारूप में रखा जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा महालेखाकार के परामर्श से निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 150 में शब्द **''प्रारूप''** का व्यापक अर्थ है, जो लेखे को रखे जाने वाले विस्तृत स्वरूप का निर्धारण ही नहीं बल्कि लेन देनों के वर्गीकरण हेतु उचित शीर्षो के चयन के आधार के लिए भी व्यवहृत होता है।

(v) राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के मध्य वर्गीकरण :

राजस्व व्यय एक आवर्ति स्वरूप का व्यय है जिसे राजस्व प्राप्तियों से ही पूर्ति किया जाना है। पूंजीगत व्यय को स्थायी प्रकार की सम्पत्तियों की बढोत्तरी के उद्देश्य से किये गये व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत शासन लेखांकन मानक–2 के अनुसार, उपयोग पर ध्यान दिये बिना, सहायता अनुदान पर व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

वर्ष 2016–17 के दौरान, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूंजीगत परिसम्पत्ति के निर्माण हेतु प्रदत्त **₹** 1,478.88 करोड़ **(अनुलग्नक–ख)** की सहायता अनुदान को राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजीगत मुख्यशीर्षो में बजट प्रावधान एवं वर्गीकरण किया।

2. <u>लेखाओं की गुणवत्ता</u> :

(i) **लघुशीर्ष 800–'अन्य व्यय' एवं 'अन्य प्राप्तियॉं' के अन्तर्गत दर्ज राशि** : लघुशीर्ष 800–अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियॉं में राशियॉं केवल तभी दर्ज की जानी चाहिए जब लेखाओं में समुचित लघुशीर्ष उपलब्ध नहीं होवे। सामान्यतः लघुशीर्ष 800 का न्यूनतम उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि, इससे लेखाओं में पारदर्शिता नहीं होती है। वर्ष के दौरान 45 राजस्व प्राप्ति शीर्षो में ₹ 2,290.10 करोड़ तथा 43 व्यय शीर्षो में ₹ 1,377.39 करोड़ लघुशीर्ष 800 अन्य प्राप्ति/व्यय में वर्गीकृत किये गये जो राज्य शासन की कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 53,685.25 करोड़) का 4.27 *प्रतिशत* तथा कुल व्यय ₹ 57,635.11 करोड़ (राजस्व एवं पूंजीगत) का 2.39 *प्रतिशत* था। ऐसे प्रकरण जहॉं व्यय/प्राप्तियों का अधिकांश भाग (10 *प्रतिशत* या अधिक) लघुशीर्ष 800–अन्य व्यय/प्राप्ति में वर्गीकृत किया गया है, क्रमशः **अनुलग्नक–(ग) एवं (घ)** में सूचीबद्व है।

(ii) **लेखाओं का पुनर्मिलान** : व्यय पर प्रभावी नियंत्रण, बजट की परिसीमा में रखने एवं लेखाओं की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि सरकार की प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ो का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ो से पुनर्मिलान करें। वर्ष में 94 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 18 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने पूर्ण रूप से एवं 18 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने आंशिक रूप से ₹ 21,147.63 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय ₹ 59,120.89 करोड़ का 35.77 *प्रतिशत*) के व्यय राशि का पुनर्मिलान किया। प्राप्ति पक्ष में, 94 बजट नियत्रंण अधिकारियों में से 9 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने पूर्ण रूप से एवं 7 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने आंशिक रूप से ₹ 21,249.81 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों ₹ 59,340.92 करोड़ का 35.81 *प्रतिशत*) के प्राप्ति राशि का पुनर्मिलान किया। प्राप्तियों एवं व्यय की पुनर्मिलान नहीं किये जाने के कारण लेखें की परिशुद्धता एवं परिपूर्णता प्रभावित होती है।

(iii) **रोकड़ शेष का पुनर्मिलान** : दिनांक 31 मार्च 2017 की स्थिति में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ के अभिलेखानुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष के मध्य ₹ 57.25 करोड़ (जमा) का निवल अंतर था। यह अंतर मुख्यतः मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, नागपूर जो कि राज्य शासन का रोकड शेष संधारित करने हेतु उत्तरदायी है को प्रेषित त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के कारण है।

(iv) **असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक** : तत्काल किये जाने वाले व्यय, जिसका विवरण तत्समय उपलब्ध नहीं है, ऐसे व्यय हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी संक्षिप्त आकस्मिक देयक के माध्यम से सेवाशीर्ष में नामे कर धनराशि आहरित करने हेतु प्राधिकृत है एवं उनके द्वारा समस्त प्रकरणों के विस्तृत देयक (व्यय के समस्त प्रमाणकों सहित) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोषालय संहिता के सहायक नियम 327 के प्रावधानानुसार ऐसे समस्त मामले में विस्तृत आकस्मिक देयक (डी.सी. बिल) आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा इस तरह प्रेषित किया जाना चाहिए कि जिस माह से आकस्मिक देयक का आहरण संबंधित है, उसके अगले माह की 25 तारीख तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय पहॅुच जावें। संक्षिप्त आकस्मिक देयको से संबंधित विस्तृत आकस्मिक देयक प्रस्तुत नहीं किया जाने से व्यय में पारदर्शिता नहीं होती है। दिनांक 31 मार्च 2017 की

स्थिति में लंबित ए.सी. देयक का विवरण निम्नांनुसार है :

असमायोजित विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) देयक का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया विस्तृत आकस्मिक देयक की संख्या	राशि
2015–16	03	0.90
2016–17	112	24.29
योग	**115**	**25.19**

वर्ष 2016–17 में आहरित ₹ 3,556.39 करोड़ राशि के ए.सी. देयकों में से ₹ 86.61 करोड़ के (2.44 *प्रतिशत*) ए.सी. देयक केवल मार्च 2017 में आहरित किये गये है, जिसमें से ₹ 51.01 करोड़ (मार्च में आहरित राशि का 58.90 *प्रतिशत*) के देयक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस आहरित किये गये थे। मार्च में ए.सी. देयको के विरूद्ध अत्याधिक व्यय मुख्यतः बजट को समाप्त करने तथा अपर्याप्त बजट प्रबंधन की ओर इंगित करता है।

(v) राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान के विरूद्ध लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र : छत्तीसगढ़ राज्य वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक एवं अनावर्ती सशर्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभागीय अधिकारियों जिनके हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर से अनुदान देयक आहरित हुआ है द्वारा जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके पश्यवर्ती वर्ष में 30 सितम्बर अथवा पहले महालेखाकार को प्रेषित किया जाना चाहिए। दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 5,016.78 करोड़ से संबंधित कुल 1,407 उपयोगिता प्रमाण–पत्र लम्बित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्रं की संख्या	राशि
2013–14 तक	612	2,585.00
2014–15	181	829.95
2015–16	432	869.65
2016–17*	182	732.18
योग	**1,407**	**5,016.78**

* सिवाय इसके जहॉं स्वीकृति आदेश में अन्यथा न दिया गया हो, वर्ष 2016–17 में आहरित अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2017–18 में देय होगे।

(vi) बिना सलाह के उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का आरंभ किया जाना : वर्ष 2016–17 की अवधि में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से परामर्श लिये बिना, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 में प्रावधानित है, बजट में 57 नवीन उपशीर्षो (47 राजस्व अनुभाग एवं 05 पूंजीगत अनुभाग एवं 05 राजस्व एवं पूंजीगत अनुभाग) में बजट प्रावधान कर आरंभ किए गए तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा राजस्व अनुभाग में ₹ 1,523.46 करोड़ एवं पूंजीगत अनुभाग में ₹ 136.37 करोड़ का व्यय इन शीर्षो से किया।

(vii) व्यक्तिगत् निक्षेप खाते (पी.डी. खाता) में राशि का स्थानांतरण : राज्य कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अनुसार राज्य शासन व्यक्तिगत जमा लेखे (जो कि लोक लेखे के भाग है) आंरभ करने के लिए अधिकृत है, जिनमें समेकित निधि से राशि आहरित कर (व्यय शीर्ष को नामे कर) विशिष्ट उद्देश्य के उपयोग में की जाती है। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व व्यक्तिगत जमा लेखे की अप्रयुक्त राशि को समेकित निधि में वापस स्थानांतरित की जानी चाहिए। राज्य शासन द्वारा मार्च 2017 की अवधि में ₹ 2.56 करोड़ विभिन्न मुख्य शीर्षो से आहरित किये गये एवं व्यक्तिगत निक्षेप खातो में जमा किये गये, जिनका विवरण **अनुलग्नक–(ड)** में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में इस प्रकार का स्थानांतरण बजट प्रावधानो को व्यपगत होने से बचाव की ओर इंगित करता है। 31 मार्च 2017 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा लेखे का विवरण निम्नानुसार है :

व्यक्तिगत् निक्षेप खातों की जानकारी

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष		वर्ष में वृद्धि / प्राप्तियॉ		वर्ष का अंतशेष / वितरण		बकाया	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
292	1,696.46	08	918.64*	19	722.63*	281	1,892.47

* वर्ष के दौरान प्राप्तियॉ तथा वितरण सम्मिलित है।

3. <u>अन्य मदें</u> :

(i) सेवानिवृत्ति हितलाभों का दायित्व : 31 अक्टूबर 2004 के पहले नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों (उच्च न्यायालय के न्यायधीश एवं विधान सभा सदस्यों एवं पेंशन निधि में शासन का अंशदान सहित) पर वर्ष के दौरान पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों पर ₹ 3,185.00 करोड (कुल राजस्व व्यय का 6.61 *प्रतिशत*) का व्यय किया गया। 1 नवम्बर 2004 को एवं पश्चात नियुक्त राज्य शासन कर्मचारियों को नवीन पेंशन योजना की पात्रता है, जो कि परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के दिशानिर्देशानुसार कर्मचारी मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन का अंशदान होता है, दोनो प्रथमतः लोक लेखे मुख्य शीर्ष 8342 में जमा किया जाकर, तदोपरांत मनोनीत निधि प्रबन्धक को नेशनल सिक्युरिटीज् डिपाज़िटरी लिमिटेड़ (एन.एस.डी.एल.) / ट्रस्टी बैंक के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर्मचारी अंशदान हेतु दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है, परन्तु नियोक्ता अंशदान लोक लेखे में सम्मिलित किये बिना सीधे मुख्य शीर्ष 2071 को डेबिट कर एन.एस.डी.एल. / ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है।

वर्ष में कुल ₹ 307.61 करोड़ निधि में जमा हुए, जिसमें ₹ 305.91 करोड़ कर्मचारियों का अंशदान एवं ₹ 1.70 करोड़ कर्मचारी (जो जिला पंचायत, इत्यादि में प्रतिनियुक्ति पर है) तथा नियोक्ता का अंशदान है। वर्ष में निधि में जमा कुल राशि ₹ 307.61 करोड़ के विरूद्ध ₹ 277.49 करोड़ जिसमें ₹ 276.70 करोड़ कर्मचारी अंशदान तथा ₹ 0.79 करोड़ प्रतिनियुक्ति पर स्थित कर्मचारी तथा नियोक्ता का अंशदान, ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किये गये है, परिणामस्वरूप ₹ 30.12 करोड़ कम स्थानांतरित हुए। इसके अतिरिक्त ₹ 305.91 करोड़ के कर्मचारी अंशदान के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा ₹ 301.27 करोड का अंशदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.64 करोड़ का कम अंशदान हुआ। 31 मार्च 2017 को लेखाशीर्ष 8342–117 में ₹ 56.15 करोड़ शेष रहा जिसे एन.एस. डी.एल. / ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाना लंबित था। इस जमा शीर्ष में अस्थानांतरित राशि राज्य शासन का दायित्व है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं–जारी

राज्य शासन द्वारा मुख्य शीर्ष 8342 के शेष पर 8.10 *प्रतिशत* की दर (सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज दर से प्राक्कलित) से ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया। असंग्रहित, असंगत एवं अस्थानांतरित राशियों मय अर्जित ब्याज इस योजना में बकाया दायित्व दर्शाती है।

(ii) **कर्ज एवं अग्रिम** : राज्य शासन, विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों इत्यादि तथा सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत करती है। 31 मार्च 2017 को, राज्य शासन के ₹ 1,373.68 करोड़ के ऋण बकाया है। इसमें से ₹ 542.67 करोड़ (39.50 *प्रतिशत*) एवं संचित ब्याज ₹ 17.82 करोड़ वसूली हेतु शेष थे। राज्य शासन के विभागों द्वारा संधारित ऋण एवं अग्रिम के लेखों से संबंधित बकाया ऋण एवं ब्याज की जानकारी 31 मार्च 2017 की स्थिति में अपेक्षित है। परिणामस्वरूप राज्य शासन के आस्तियो की स्थिति (ऋण एवं अग्रिमों दर्शाने वाले) की पुष्टि नहीं की जा सकती है। वित्त लेखे में दशाये गये ऋण एवं अग्रिम के आंकड़े (₹ 110.11 करोड़) तथा राज्य शासन के संस्थाओं द्वारा सूचित आंकड़े (₹ 153.56 करोड़) के मध्य विसंगति पुनर्मिलान के अधीन है।

(iii) **राज्य शासन के निवेश** : विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में किये गये शासकीय निवेशों की जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 8 एवं 19 में दर्शायी गयी है। वर्ष के अंत तक शासन द्वारा 1,549 संस्थाओं में ₹ 6,778.60 करोड़ निवेश किया गया। वित्त लेखे में दशाये गये निवेश के आंकड़े (₹ 6,434.20 करोड़) तथा राज्य शासन के संस्थाओं द्वारा सूचित आंकड़े (₹ 6,623.97 करोड़) के मध्य विसंगति पुनर्मिलान के अधीन है।

(iv) **उचंत एवं प्रेषण शेष** : वित्त लेखे में उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेष प्रतिबिंबित होते है जिसकी जानकारी वित्त लेखे (खण्ड–II) के विवरण क्रमांक 21 में दर्शाया गया है। इन शीर्षों के बकाया शेषो की गणना विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से नामें एवं जमा शेषों को जोड़कर की जाती है। मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षो के विगत तीन वर्षो से संबंधित सकल एवं निवल आंकड़ो की जानकारी **अनुलग्नक (च)** में दर्शायी गई है।

(v) **प्रत्याभूतियॉं** : राज्य शासन द्वारा, सरकारी कम्पनियों, संविधिक निगमों, स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये गये कर्जो हेतु प्रत्याभूती दी जाती है। ये प्रत्याभूतियॉं, शासन के समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व है। वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 9 एवं 20 में दर्शाये गये प्रत्याभूतियॉं राज्य शासन से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (संशोधित) अधिनियम 2016, के अनुसार प्रत्याभूति की सीमा जिसके अन्दर राज्य शासन द्वारा प्रत्याभूती दी जाय, निर्धारित नहीं की गई है। वर्षावधि में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ₹ 4,091.33 करोड़ की प्रत्याभूतियॉं प्रदत्त गई। मार्च 2017 के अंत तक कुल लम्बित प्रत्याभूतियॉं राशि ₹ 3,982.97 करोड़ थी। वर्ष के दौरान किसी भी प्रत्याभूति को उन्मुक्त नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 28/2002 दिनांक 22.05.2002 के अनुसार 0.5 *प्रतिशत* के दर पर प्रत्याभूति फीस भारित किया जाना है जब तक विशिष्ट तौर पर छूट प्रदान नहीं किया जाता। वर्ष के दौरान राशि ₹ 4.40 करोड़ प्रत्याभूति फीस वसूली कर शासन के खाते में जमा किया गया है। वित्त लेखे में दशाये गये प्रत्याभूति के आंकड़े (₹ 4,993.98 करोड़) तथा राज्य शासन के संस्थाओं द्वारा सूचित आंकड़े (₹ 2,987.50 करोड़) के मध्य विसंगति पुनर्मिलान के अधीन है।

(vi) **विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को निधि का स्थानांतरण** : राज्य शासन द्वारा राज्य/जिला स्तर के स्वशासी निकायों एवं प्राधिकरणों, समितियों, अशासकीय संगठनों आदि को केन्द्र योजनाओं/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निधि उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2016–17 के दौरान, ₹ 8,984.60 करोड़ विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणो को शासकीय योजनाओ/कार्यो/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रदाय किए गए है। राज्य शासन द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विमुक्त की गई राशि में से वास्तविक उपयोग की गई राशि तथा समस्त क्रियान्वयन अभिकरणों के बैंक खाते में रखी गई राशि की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अतः लेखे में दर्शाए गए राज्य शासन का व्यय इस सीमा तक अंतिम नहीं है। तथापि कुछ क्रियान्वयन अभिकरणों से प्राप्त सूचनानुसार राज्य शासन से प्राप्त अनुदान, उनसे हुए व्यय तथा बैंक खाते में रखी गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :

क्रियान्वयन अभिकरणों का बैंक खातो में रखी राशि

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	योजना	वर्ष के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	वर्ष के दौरान किये गये व्यय	बैंक खाता में रखी गई शेष
छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	741.87	478.96	262.91
छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वाणिकी एवं कृषि	छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति योजना	0.20	0.19	0.01

स्रोत :– संस्थाओं से प्राप्त जानकारी

(vii) निक्षेप निधि तथा जमा :

(क) निक्षेप निधियों की जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 21 एवं 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट उद्देश्यों हेतु 16 निक्षेप निधियां है जिसमें से 12 निधियां क्रियाशील है एवं 4 निधियां 2000—2001 से 2016—17 के मध्य अक्रियाशील रहीं। 31 मार्च 2017 के अंत तक इन निधियों में कुल ₹ 4,141.61 करोड़ (₹ 4,122.62 करोड़ क्रियाशील निधियों में एवं ₹ 18.99 करोड़ अक्रियाशील निधियों में) शेष रहा, जिसमें से ₹ 1,798.63 करोड़ (43.43 *प्रतिशत*) निवेश किया गया। अक्रियाशील निधियों की जानकारी **अनुलग्नक (छ)** में दी गई हैं।

(ख) **ब्याज दायित्वों का विमुक्त नहीं किया जाना :** लोक लेखे के सेक्टर 'त्र' एवं 'ट' में क्रमशः ब्याज वाली आरक्षित निधियां एवं ब्याज वाली जमा शीर्षो के ब्याज दायित्व वार्षिक दायित्व है जिसे राज्य शासन द्वारा विमुक्त किया जाना है। 1 अप्रैल 2016 को ऐसे आरक्षित निधियो एवं जमा शीर्षो में अवशेष होने पर भी राज्य शासन द्वारा बजट प्रावधान नहीं किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

आरक्षित निधियों एवं जमा के अंतर्गत ब्याज दायित्व

(₹ करोड़ों में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	न्यूनतम प्राक्कलित ब्याज दर	01.04.2016 में शेष	देय ब्याज
त्र—आरक्षित निधियॉं	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां— (राज्य आपदा उन्मोदन निधि)	6.5 *प्रतिशत* (अन्य अर्थोपाय अग्रिम की औसत ब्याज दर)	369.80	24.04
ट—जमा तथा अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमा— मुख्यशीर्ष 8342—117— सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना	8.10 *प्रतिशत* (सामान्य भविष्य निधि ब्याज दर)	26.04	2.11
			योग	**26.15**

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं–जारी

(ग) **समेकित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ) :** बाहरवे वित्त आयोग की अनुशंसा पर बकाया दायित्वों के उन्मोचन हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006–2007 में समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निधि में गत वर्ष के अंत तक बकाया दायित्वो (आंतरिक ऋणो (+) लोक लेखा दायित्वो) का न्यूनतम 0.5 *प्रतिशत* वार्षिक अंशदान किया जाना है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2016–17 में न्यूनतम अशंदान ₹ 188.71 करोड़ (31 मार्च 2016 को बकाया दायित्वो ₹ 37,741.14 करोड़ का 0.5 *प्रतिशत*) के विरूद्ध ₹ 200.00 करोड अंशदान किया गया। इस निधि में 31 मार्च 2017 को ₹ 1,746.94 करोड़ थे तथा संपूर्ण राशि को भारत शासन की प्रतिभूति में निवेश किया गया है।

(घ) **गारंटी उन्मोचन निधि (जी.आर.एफ) :** बाहरवे वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य के प्रत्याभूति दायित्व के उन्मूक्ति हेतु गारंटी उन्मोचन निधि का गठन करें। छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 18 मई 2017 के द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अधिकांश गारंटी मध्यम एवं निम्न जोखिम प्रकृति के होने के कारण गारंटी उन्मोचन निधि का गठ़न नहीं किया जाय। 31 मार्च 2017 को बकाया गारंटी राशि ₹ 3,982.97 करोड़ थी।

(ङ) **राज्य आपदा उन्मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) :** चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 जुलाई 2015 के द्वारा राज्य आपदा उन्मोचन निधि की रचना एवं प्रबंधन हेतु दिशा–निर्देश जारी किया गया। इस निधि के दिशा निर्देशो के अनुसार, केन्द्र एवं राज्य शासन को 75:25 के अनुपातानुसार निधि में अंशदान करना आवश्यक है।

वर्ष 2016–17 में राज्य शासन द्वारा ₹ 126.50 करोड़ (₹ 94.87 करोड़ के केन्द्रांश एवं ₹ 31:63 करोड़ राज्यांश) निधि को स्थानांतरित किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए बकाया विमुक्ति ₹ 120.50 करोड़ (₹ 90.38 करोड़ के केन्द्रांश एवं ₹ 30.12 करोड़ राज्यांश) निधि को स्थानांतरित किया गया। इसके साथ ही भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि से प्राप्त ₹ 313.38 करोड़ भी राज्य शासन द्वारा एस.डी.आर.एफ. में स्थानांतरित किये गये। इस निधि के शेष में से मुख्यशीर्ष 2245 (प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत) के अन्तर्गत ₹ 243.11 करोड़ प्रथमतः किया गया व्यय को प्रतिपूरित किया गया तथा 31 मार्च 2017 को निधि में ₹ 693.20 करोड़ का शेष छोड़ा गया। राज्य आपदा उन्मोचन निधि की अधिसूचना अनुसार, इस निधि का शेष भारत शासन के दिनांकित प्रतिभूति, आक्शनड ट्रेजरी बिल, ब्याज युक्त जमा एवं अधिसूचित वाणिज्यक बैंको के जमा प्रमाण पत्रो में निवेश किया जाना है। राज्य शाासन द्वारा इस निधि के शेष के निवेश की जानकारी अपेक्षित है।

(च) **ग्रामीण विकास निधि :** राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001–02 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण विकास निधि का गठन किया गया है। वर्ष 2016–17 में मुख्य शीर्ष 2030–02–797 से ₹ 26.00 करोड़ निधि को स्थानांतरित किए गए है एवं 31 मार्च 2017 को ₹ 185.68 करोड़ निधि का शेष था। निधि के गठ़न करने के आरंभ से कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

(viii) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर : भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अनुसार निर्माण कार्य मूल्य के 1 *प्रतिशत* की दर से उपकर एकत्रित कर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को स्थानान्तरित किया जाना है। वर्ष 2016–17 में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ₹ 51.97 करोड़ एकत्रित किया गया एवं ₹ 45.05 करोड़ कल्याण मण्डल को स्थानांतरित किया गया तथा शेष ₹ 6.92 करोड़ लोक लेखा मुख्य शीर्ष 8443 में रखा गया है।

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	अस्थानान्तरित राशि
लोक निर्माण विभाग	6.16
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	0.45
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)	0.21
ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)	0.10
कुल	**6.92**

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के लिए कोई लेखांकन नियम तैयार नहीं किये गये है।

(ix) **चैक्स् एवं बिल** : मुख्यशीर्ष 8670–चैक्स् एवं बिल के अन्तर्गत जमा शेष दर्शाया जाना यह इंगित करता है कि जारी किये गये चैक्स् को 31 मार्च 2017 तक भुनाया नहीं गया है। 1 अप्रैल 2016 को उक्त शीर्ष का प्रारंभिक शेष ₹ 50.51 करोड़ (जमा) है। वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 46,589.50 करोड़ के चैक्स् जारी किये गये है जिसके विरूद्ध ₹ 46,604.01 करोड़ के चैक्स् भुनाये गये तथा अंतशेष राशि ₹ 36.00 करोड़ (जमा) रहा।

(x) **केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना के पुनर्गठन** : भारत सरकार, नीति आयोग ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17 अगस्त 2016 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 से मौजूदा सभी 66 केन्द्रीय प्रवर्तित योजना को 28 अम्ब्रैला योजनाओं में युक्तियुक्तकरण किया गया। भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों के स्थान पर राज्य शासन को सीधे केन्द्रीय सहायता विमुक्त की गई। यह विमुक्तियाँ अब ''राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता'' के रूप में वर्गीकृत की गई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुनर्गठित पद्धति के अनुसार बजट में प्रदर्शित नहीं किया गया तथा पूर्व वर्षो जैसा ही बजट प्रदर्शन जारी रखा।

वर्ष 2016–17 में लेखा नियंत्रक के पब्लिक फायनेनशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल में दर्शाए गए छत्तीसगढ़ शासन की राज्य योजनाएं हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में विमुक्त की गई ₹ 8,289.31[1] करोड़ के विरूद्ध ₹ 8,248.21[2] करोड़ की राशि के क्लिरन्स मेमो (भारतीय रिजर्व बैंक, नागपूर के केन्द्रीय लेखा शाखा से) एवं संबंधित मंत्रालयों से स्वीकृतियाँ प्राप्त हुये, जिसे राज्य शासन के लेखे में मुख्यशीर्ष 1601 केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के अन्तर्गत उचित रूप से दर्ज किया गया। वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये समस्त विमुक्तियाँ एवं मुख्यशीर्ष 1601 में दर्ज विमुक्तियों को उनसे संबंधित राज्य योजनाओं से मैप किया गया तथा परिशिष्ट–V (क) में दर्शाया गया है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ भारत सरकार से केन्द्रीय योजनाओं के लिए विमुक्तियाँ प्राप्त किए गए हैं, परन्तु राशि का संपूर्ण व्यय नहीं किया गया है या विमुक्तियों से अधिक व्यय किया गया है, को विवरण क्रमांक 15 के अनुलग्नक में दर्शाया किया गया है।

(xi) **राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानांतरण (राज्य बजट के बाहर से उपलब्ध कराई गई निधियां)** : केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजनाओं हेतु क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियां विमुक्ति न करते हुए राज्य शासन को सीधे विमुक्ति किये जाने संबंधी भारत सरकार के निर्णय के बावजूद, लेखा नियंत्रक, भारत सरकार के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में विमुक्त ₹ 466.30 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2016–17 में छत्तीसगढ़ के क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 1,112.05 करोड़ सीधे विमुक्त किये गये, जो कि 138.48 प्रतिशत अधिक है। विवरण परिशिष्ट–VI में दर्शाया गया है।

[1] भारत शासन द्वारा वर्ष 2016–17 में विमुक्त की गई स्वीकृत राशि की जानकारी पी.एफ.एम.एस. पोर्टल से प्राप्त की गई।

[2] मुख्यशीर्ष 1601 के अन्तर्गत विवरण क्रमांक 14 में राज्य आयोजनागत योजना के अन्तर्गत ₹ 7,785.03 करोड़, केन्द्र आयोजनागत योजना में ₹ 64.59 करोड़ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत ₹ 398.59 करोड़ दर्ज है।

(xii) **व्यय का अतिरेक** : वर्ष 2016–17 में किए गए कुल व्यय ₹ 59,120.89 करोड़ में से ₹ 10,031.77 करोड़ (अर्थात कुल व्यय का 16.97 *प्रतिशत*) मार्च 2017 में किया गया है, जिसमें से ₹ 417.48 करोड़ (कुल व्यय का 0.71 *प्रतिशत* एवं मार्च के व्यय का 4.16 *प्रतिशत*) का व्यय अंतिम दिवस अर्थात 31 मार्च 2017 को किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :

31 मार्च 2017 को किये गये आहरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

आहरणों का विवरण	राशि
कोषालयों से	345.90
निर्माण संभागों से	61.95
वन मण्डलों से	5.47
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों से	4.16
योग	**417.48**

(xiii) **केन्द्रीय ऋणों का अपलेखन** : तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुपालन में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार, द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2012 को जारी किये गये स्वीकृति अनुसार विभिन्न मंत्रालयो (केवल वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त ऋणो को छोड़कर) द्वारा राज्य शासनों को केन्द्रीय आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति में बकाया ऋणो एवं मंत्रालयों के लेजर में वर्तमान बकाया राशि तक सीमित ऋणो को अपलेखित किया गया है। 31 मार्च 2010 के पश्चात अपलेखित ऋणो के विरूद्व भुगतान किए मूल एवं ब्याज का समायोजन, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार को केन्द्रीय योजनाओं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के ऋणों के भविष्य में राज्यों से किये जाने वाले पुर्नभुगतान के विरूद्व किया जावेगा। राज्य शासन द्वारा सडक यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित ₹ 0.04 करोड़ (₹ 0.03 करोड़ का मूलधन एवं ₹ 0.01 करोड़ का ब्याज) तथा कृषि मंत्रालय से संबंधित ₹ 12.81 करोड़ (₹ 5.03 करोड़ का मूलधन एवं ₹ 7.78 करोड़ का ब्याज) का अधिक भुगतान किया गया। 31 मार्च 2017 तक वित्त मंत्रालय द्वारा उक्त अधिक भुगतान का समायोजन नही किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन के ऋण लेखा में ₹ 5.06 करोड़ के मूलधन का प्रतिकूल शेष दर्शित हुआ।

(xiv) **उज्जवल डिस्काम एश्योरेन्स योजना (उदय)** : ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में उदय योजना को स्वीकृति प्रदान की, जिसके अन्तर्गत ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी (सी.एस.पी.डी.सी.एल.) के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया, जिससे दिनांक 30 सितम्बर 2015 तक कुल ऋण (₹ 1,740.24 करोड़) का 75 *प्रतिशत* छत्तीसगढ़ राज्य शासन को अधिग्रहित करना सुगम हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी (सी.एस.पी.डी.सी.एल.) का ₹ 1,305.18 करोड़ एस.एल.आर बॉण्ड जारी कर तथा 50 *प्रतिशत* (₹ 870.12 करोड) का वर्ष 2015–16 में अधिग्रहण किया जाना था एवं शेष 25 *प्रतिशत* (₹ 435.06 करोड़) ऋण वर्ष 2016–17 में अधिग्रहण किया जाना था। योजना दिशा निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा जो ऋण अधिग्रहित किया जाएगा उसका वित्तीय घाटा की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। तदनुसार, राज्य शासन ने वर्ष 2015–16 में ₹ 870.12 करोड़ अधिग्रहित किया। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने अप्रैल 2016 में निर्देशित किया कि 'रिस्ट्रक्चरड एक्सीलेरेटड पावर डेवलपमेंट एवं रिफॉर्म प्रोग्राम (आर.ए.पी.डी.आर.पी.)' के ऋण राज्य शासन द्वारा अधिग्रहित नहीं किये जाएगें। उपरोक्त निदेर्शों के आलोक में राज्य शासन द्वारा अधिग्रहित किये जाने वाले कुल ऋण ₹ 586.64 करोड़ घटकर ₹ 1,153.60 करोड़ (₹ 1,740.24 करोड़–₹ 586.64 करोड़) रह गया जिसमें सिर्फ 75 *प्रतिशत* यानि

₹ 865.20 करोड़ ही राज्य शासन द्वारा अधिग्रहित किया गया। चूंकि ₹ 870.12 करोड़ की राशि 2015–16 में राज्य शासन द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी थी, अतः 2016–17 में काई भी ऋण उगाया नहीं गया। परिणामस्वरूप, राज्य शासन द्वारा ₹ 4.92 करोड़ (₹ 870.12 करोड़–₹ 865.20 करोड़) का अधिक ऋण अधिग्रहित किया जिसका समायोजन सी.एस.पी.डी.सी.एल. से होना है।

(xv) **छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (सी.एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रकटीकरण** : चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में सी.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2005 का संशोधन किया है। अधिनियम (यथासंशोधित) के अनुसार, राज्य सरकार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा गढ़ित वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम अनुसार राजकोषीय नियमों को निर्दिष्ट करेगा। राज्य सरकार ने 8 जुलाई 2016 को अधिसूचना जारी कर राज्य के लिए वर्ष 2015–16 से 2019–20 के लिए वित्तीय नियम का निर्माण किया, जो कि चौदहवें वित्त आयोग के रिपोर्ट के पैरा क्रमांक 14.62 एवं 14.64 में राज्यों के लिए निर्मित वित्तीय नियमों के अनुसार है। राज्य शासन द्वारा निर्मित वित्तीय नियमों के अनुसार राज्य के लक्ष्य एवं इसके विरूद्ध उपलब्धियां/कमी निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि/कमी
राजस्व घाटा/आधिक्य	राजस्व आधिक्य	लेखा अनुसार वर्ष 2016–17 हेतु राजस्व आधिक्य ₹ 5,520.65 करोड़ है।
राजकोषीय घाटा	अधिकत्तम 3.50 *प्रतिशत* यदि ऋण सकल घरेलु उत्पाद अनुपात वर्ष 2015–16 में सकल घरेलु उत्पाद के 25 *प्रतिशत* से कम या बराबर हो तथा ब्याज भुगतान पिछले वर्ष के राजस्व प्राप्ति के 10 *प्रतिशत* से कम या बराबर हो।	लेखा अनुसार वर्ष 2016–17 हेतु राजकोषीय घाटा ₹ 4,047.27 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलु उत्पाद का (₹ 2,90,139.70 करोड़)* का 1.39 *प्रतिशत* है।
ऋण– 2015–16 के ऋण सकल राज्य घरेलु उत्पाद का अनुपात	25 *प्रतिशत*	31.03.2016 तक कुल बकाया ऋण लोक लेखा दायित्व समेत ₹ 37,741.14 करोड़ तथा सकल राज्य घरेलु उत्पाद ₹ 2,51,447.14 करोड़ था। सकल राज्य घरेलु उत्पाद से ऋण की प्रतिशतता 15.01 है।
राजस्व प्रातियॉं से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	10 *प्रतिशत*	वर्ष 2015–16 में ब्याज भुगतान ₹ 2,148.91 करोड़ तथा राजस्व प्राप्ति ₹ 46,067.71 करोड़ था। राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 4.66 है।

* सकल राज्य घरेलु उत्पाद का स्त्रोत : भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का पोर्टल

(xvi) राजस्व आधिक्य एवं वित्तीय घाटे पर प्रभाव : पूर्व के अनुच्छेदों में उल्लेखित राज्य शासन के राजस्व आधिक्य एवं वित्तीय घाटे पर प्रभाव निम्नानुसार दर्शाया गया हैं :

राजस्व एवं वित्तीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

परिच्छेद क्रमांक	मद	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव	वित्तीय घाटे पर प्रभाव
		अत्युक्ति	न्यूनोक्ति
1(v)	राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग में दर्ज सहायता अनुदान	1,478.88	**प्रभाव नहीं**
3 (i)	नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा समतुल्य अंशदान कम होना	4.64	4.64
3(vii) (ख)	आरक्षित निधि एवं जमा पर ब्याज का प्रावधान नहीं किया जाना	26.15	26.15
योग (निवल) प्रभाव		**1,509.67**	**30.79**

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं–जारी

अनुलग्नक–क
आवधिक / अन्य समायोजनों का विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–1 (ii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	अन्तरण से	अन्तरण को	लेखाशीर्ष से	लेखाशीर्ष को	राशि	अभ्युक्ति
1.	भू–राजस्व	पर्यावरण उपस्कर निधि	2029–797	8229–200	87.83	पर्यावरण उपस्कर निधि को स्थानांतरण
		अधोसंरचना विकास उपस्कर निधि	2029–797	8229–200	233.81	अधोसंरचना विकास उपस्कर निधि को स्थानांतरण
2.	मुद्रांक तथा पंजीयन	अन्य कल्याण निधि–पंचायत भू–राजस्व, उपकर तथा स्टाम्प डयूटी निधि	2030–02–797	8229–200	60.00	पंचायत भू–राजस्व, उपकर तथा स्टाम्प डयूटी निधि को स्थानांतरण
		अन्य कल्याण निधि–ग्रामीण विकास निधि	2030–02–797	8229–200	26.00	ग्रामीण विकास निधि को स्थानांतरण
3.	अन्य कल्याण निधि–पंचायत भू–राजस्व, उपकर तथा स्टाम्प डयूटी निधि	स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	8229–200	3604–902	57.21	पंचायत भू–राजस्व, उपकर तथा स्टाम्प डयूटी निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
4.	विद्युत एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	विद्युत विकास निधि	2045–797	8229–110	240.89	विद्युत विकास निधि को स्थानांतरण
5.	विद्युत विकास निधि	ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय	8229–110	4801	100.00	विद्युत विकास निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
		अपारंपरिक उर्जा स्त्रोत पर पूंजीगत व्यय	8229–110	4810	127.79	
		अपारंपरिक उर्जा स्त्रोत	8229–110	2810	13.10	
6.	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	निक्षेप निधि	2048–101	8222–02–101	200.00	खुले बाजार ऋण के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि
7.	ब्याज का भुगतान	सामान्य भविष्य निधि	2049–03–104	8009–01–101	370.96	सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं को वार्षिक ब्याज का स्थानांतरण
8.	ब्याज का भुगतान	बीमा तथा पेंशन निधि	2049–60–701	8011–107	64.83	राज्य शासन के कर्मचारियो का समूह बीमा निधि में ब्याज का स्थानांतरण

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ–जारी

अनुलग्नक–क–समाप्त
आवधिक / अन्य समायोजनों का विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–1 (ii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	अन्तरण		लेखाशीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
	से	को	से	को		
9.	ब्याज का भुगतान	परिवार कल्याण निधि	2049–60–701	8342–120	5.37	राज्य शासन के परिवार कन्याण निधि में ब्याज का स्थानांतरण
10.	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति के लाभ	अन्य विकास तथा कल्याण– पेंशन निधि	2071–01–797	8229–200	22.00	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति व्यय हेतु पेंशन निधि को स्थानांतरण
11.	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि–राज्य आपदा उन्मोचन निधि	2245–05–101	8121–122	247.00	राज्य आपदा उन्मोचन निधि में केन्द्रांश एवं राज्यांश का स्थानांतरण
12.	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ– राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि	2245–80–103	8121–122	313.39	राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि से प्राप्त राशि का स्थानांतरण
13.	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ– राज्य आपदा उन्मोचन निधि	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	8121–122	2245–05–901	207.57	राज्य आपदा उन्मोचन निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
			8121–122	2245–80–901	35.54	
14.	वानिकी तथा वन्य प्राणी	अन्य विकास निधि–वन विकास निघि	2406–01 / 02–797	8229–200	20.84	वन विकास निघि को स्थानांतरण
15.	अन्य विकास निधि–वन विकास निघि	वानिकी तथा वन्य प्राणी	8229–200	2406–01–902	16.05	वन विकास निघि से व्यय की प्रतिपूर्ति
16.	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	अन्य विकास निधि–खनिज विकास निघि	2853–02–797	8229–200	159.41	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि को स्थानांतरण
17.	अन्य विकास निधि–खनिज विकास निधि	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	8229–200	4853–01–902	475.33	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
18	सड़कें एवं पुल	केन्द्रीय सड़क निधि के सहायता से	3054–797	8449–103	97.12	केन्द्रीय सड़क निधि से स्थानांतरण
19	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	सड़कें एवं पुल	8449–103	5054–03–902	107.57	केन्द्रीय सड़क निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति

अनुलग्नक–ख
पूंजीगत अनुभाग में दर्ज सहायता अनुदान का विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–1 (v) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्य शीर्ष	नामावली	उद्‌देश्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	28.75
2	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	12.88
3	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	292.70
4	4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति तथां अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	188.47
5	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	269.45
6	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	330.00
7	4810	अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	271.65
8	4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	1.00
9	4852	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	26.30
10	5275	अन्य संचार पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	4.82
11	5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	0.30
12	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	6.62
13	4810	अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	14	सहायता अनुदान	43.58
14	5275	अन्य संचार पर पूंजीगत परिव्यय	14	सहायता अनुदान	2.36
				योग	**1,478.88**

अनुलग्नक–ग

लघुशीर्ष–800 'अन्य व्यय' के अन्तर्गत दर्ज व्यय का मुख्यशीर्षवार विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–2 (i) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्यशीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघुशीर्ष–800 अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में दर्ज व्यय	लघुशीर्ष–800 अन्य व्यय के अन्तर्गत दर्ज व्यय का कुल व्यय से *प्रतिशत*
1	2039	राज्य उत्पाद शुल्क	166.61	35.09	21.06
2	2075	विविध सामान्य सेवाएं	0.27	0.27	100
3	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	803.68	90.41	11.25
4	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	9.41	1.89	20.09
5	2852	उद्योग	118.62	21.87	18.44
6	2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	477.60	284.83	59.64
7	3275	अन्य संचार सेवा	59.09	59.09	100
8	4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	691.85	575.84	83.23
9	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	118.08	104.47	88.47
10	4801	बिजली परियोजनाओ पर पूंजीगत परिव्यय	820.02	100.00	12.19
11	5275	अन्य संचार पर पूंजीगत व्यय	7.18	7.18	100

अनुलग्नक–घ

लघुशीर्ष–800 'अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत दर्ज प्राप्तियों का मुख्यशीर्षवार विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–2 (i) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्यशीर्ष	नामावली	कुल प्राप्ति	लघुशीर्ष–800 अन्य प्राप्तियॉं के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में दर्ज प्राप्ति	लघुशीर्ष–800 अन्य प्राप्तियॉं के अन्तर्गत दर्ज प्राप्ति का कुल प्राप्तियों से *प्रतिशत*
1	0023	होटल प्राप्तिकर	8.71	0.92	10.56
2	0029	भू–राजस्व	503.66	181.33	36.00
3	0039	राज्य उत्पाद शुल्क	3,443.51	365.66	10.62
4	0041	वाहन कर	985.27	128.90	13.08
5	0043	विद्युत कर तथा शुल्क	1,495.48	217.16	14.52
6	0047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.01	0.01	100
7	0055	पुलिस	15.29	11.89	77.76
8	0056	जेल	7.72	1.61	20.85
9	0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	4.48	2.92	65.18
10	0059	लोक निर्माण कार्य	41.12	33.49	81.44
11	0070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	36.66	15.71	42.85
12	0071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	7.44	7.03	94.49
13	0202	शिक्षा खेल कूद कला तथा संस्कृति	27.04	10.90	40.31
14	0210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	46.50	7.50	16.13
15	0211	परिवार कल्याण	0.05	0.05	100
16	0217	शहरी विकास	6.74	6.74	100
17	0220	सूचना तथा प्रचार	0.06	0.06	100
18	0230	श्रम तथा रोजगार	19.35	5.46	28.22
19	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	7.71	7.71	100
20	0250	अन्य सामाजिक सेवाएं	28.71	7.26	25.29
21	0401	फसल कृषि कर्म	14.40	6.40	44.44
22	0403	पशु पालन	6.25	2.41	38.56
23	0405	मछली पालन	4.09	1.48	36.19
24	0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	405.15	103.38	25.52

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉं–जारी

अनुलग्नक–घ–समाप्त

लघुशीर्ष–800 'अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत दर्ज प्राप्तियों का मुख्यशीर्षवार विवरण

(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–2 (i) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्यशीर्ष	नामावली	कुल प्राप्ति	लघुशीर्ष–800 अन्य प्राप्तियॉं के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में दर्ज प्राप्ति	लघुशीर्ष–800 अन्य प्राप्तियॉं के अन्तर्गत दर्ज प्राप्ति का कुल प्राप्तियों से *प्रतिशत*
25	0408	खाद्य भंडारण तथा भांड़ागार	0.49	0.33	67.35
26	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	2.46	2.35	95.53
27	0515	अन्य ग्राम विकास कायक्रम	11.22	5.60	49.91
28	0701	मध्यम सिंचाई	6.28	1.71	27.23
29	0702	लघु सिंचाई	180.84	180.83	99.99
30	0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	1.79	0.21	11.73
31	0852	उद्योग	1.95	2.55	130.77[3]
32	0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	4,141.47	884.53	21.36
33	1053	नागर विमानन	0.71	0.71	100

[3] राजस्व वापसियॉं के कारण मुख्यशीर्ष 0852 के अन्तर्गत लघुशीर्ष 800 की प्राप्तियॉं मुख्यशीर्ष की कुल प्राप्तियों से अधिक परिलक्षित हो रहा है। इस मुख्यशीर्ष में ₹ 0.76 करोड़ राजस्व वापसियॉं थी।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ–जारी

अनुलग्नक–ङ
व्यक्तिगत निक्षेप खाते का विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–2 (vii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

स.क्रं.	कोषालय	मुख्य शीर्ष	राशि
1	भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अम्बिकापुर	2029	0.54
2	जिलाधीश, अम्बिकापुर	2029	0.61
3	जिलाधीश, भू–अभिलेख, धमतरी	2029	0.37
4	जिलाधीश, भू–अभिलेख, महासमुन्द	2029	0.50
5	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, बिलासपुर	2056	0.13
6	संचालक, पुरातत्व अभिलेखागार संग्रालय एवं संस्कृति, रायपुर	2205	0.17
7	संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, रायपुर	2235	0.15
8	संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, बिलासपुर	2235	0.09
योग			**2.56**

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ–जारी

अनुलग्नक–च

मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्ष का विवरण

(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–3 (iv) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

लेखों का शीर्ष	2014–15		2015–16		2016–17	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658–101 वेतन एवं लेखा कार्यालय–उचंत	26.88	2.37	47.52	2.50	48.21	0.44
निवल	**नामे 24.51**		**नामे 45.02**		**नामे 47.77**	
8658–102–उचंत लेखा (सिविल)	56.84	48.24	60.39	49.21	2.20	0.16
निवल	**नामे 8.60**		**नामे 11.18**		**नामे 2.04**	
8658–107–नगद समाशोधन उचंत लेखा	38.68	6.70	38.68	6.70	0.00	0.00
निवल	**नामे 31.98**		**नामे 31.98**		**नामे 0.00**	
8658–109–रिजर्व बैंक उचन्त–मुख्यालय	(-) 0.47	(-) 6.13	(-) 0.19	(-) 11.31	(-) 0.37	(-) 3.08
निवल	**नामे 5.66**		**नामे 11.12**		**नामे 2.71**	
8658–110–रिजर्व बैंक उचन्त–केन्द्रीय लेखा कार्यालय	(-) 2.72	(-) 3.03	(-) 5.21	(-) 3.03	0.73	0.15
निवल	**नामे 0.31**		**जमा 2.18**		**नामे 0.58**	
8658–129–सामग्री क्रय समाशोधन उचंत लेखा	23.67	112.87	23.80	112.87	0.00	87.29
निवल	**जमा 89.20**		**जमा 89.07**		**जमा 87.29**	
8782–102–लोक निर्माण प्रेषण	52,748.20	52,692.09	59,907.05	59,867.75	29.92	22.45
निवल	**नामे 56.11**		**नामे 39.30**		**नामे 7.47**	
8782–103–वन प्रेषण	11,586.56	11,554.52	12,764.04	12,736.20	12.14	0.33
निवल	**नामे 32.04**		**नामे 27.84**		**नामे 11.81**	

लेखाओं के लिए टिप्पणियॉ–समाप्त

अनुलग्नक–छ

अक्रियाशील आरक्षित निधियों का विवरण

(लेखाओं के लिए टिप्पणियों–अनुच्छेद क्रमांक–3 (vii) (क) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	आरक्षित निधी का नाम	31 मार्च 2016 को शेष	अक्रियाशीलता का वर्ष
8229–विकास एवं कल्याण निधियॉ	शिक्षा के उपयोग के लिए विकास निधि	जमा 0.03	2011–12
	कृषि उपयोग के लिए विकास निधि–निवेश लेखा	जमा 0.06	2000–01
	क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि	जमा 18.89	2008–09
8235–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	अन्य निधियॉ	जमा 0.01	2000–01
योग		**जमा 18.99**	..

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2017
www.cag.gov.in

agchattisgarh@cag.gov.in